मध्यप्रदेश

कृषि-उपज मण्डी

अधिनियम, 1972

(अधिनियम क्र. 24/1973 म.प्र.)

अद्यतन संशोधित अधिनियम
(14 मार्च, 2005 तक)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972

(अधिनियम क्र. 24/1973 म.प्र.)

धारा	विषय वस्तु	पेज नम्बर
	अध्याय - 1 प्रारम्भिक	01 - 04
1	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ।	
2	परिभाषाएं।	
	अध्याय - 2 मण्डियों की स्थापना **(ESTABLISHMENT OF MARKETS)**	04 - 06
3	विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का विनियमन करने के आशय की अधिसूचना।	
4	मण्डी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन।	
5	मण्डी प्रांगण तथ मूल मण्डी।	
6	अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का नियंत्रण।	
	अध्याय - 3 मण्डी समितियों का गठन **(CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEES)**	07 - 18
7	मण्डी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन।	
8	स्थानीय प्राधिकारी की सम्पत्ति का मण्डी समिति में निहित **(vesting)** होना।	
9	बोर्ड या मण्डी समिति के लिये भूमि का अर्जन।	
10	प्रथम मण्डी समिति का गठन होने तक भारसाधक अधिकारी की नियुक्ति।	
11	मण्डी समिति का गठन।	
11-क	मण्डी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन तथा स्थानों का आरक्षण।	
11-ख	मत देने के लिए और कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिये अर्हताएं।	
12	अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन।	
12-क	अभिलेखों तथा सम्पत्ति का कब्जा लेना।	

13	प्रथम सम्मिलन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि , उनके द्वारा त्याग पत्र और उनके पद में रिक्ति।	
14	लुप्त।	
	अध्याय - 4 मण्डी समिति के काम-काज का संचालन और उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य	18 - 32
15	मण्डी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया तथा गणपूर्ति।	
16	अध्यक्ष मण्डी समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा।	
17	मण्डी समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य।	
18	उप-समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन।	
19	मण्डी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति।	
19-क	लुप्त।	
19-ख	मण्डी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम।	
20	लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश , रीक्षण तथा अभिग्रहण की शक्तियाँ।	
21	सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस निर्धारण।	
22	मण्डी प्रांगण में हुये अतिक्रमण को हटाने की शक्ति।	
23	गाड़ियों को रोकने की शक्ति।	
24	उधार लेने की शक्ति।	
25	संविदाए करने की रीति।	
25-क	बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना।	

	अध्याय - 5 राज्य मण्डी बोर्ड सेवा	34 - 04
26	राज्य मण्डी बोर्ड सेवा का गठन।	
27	सचिव और अन्य अधिकारी।	
28	लुप्त।	
29	लुप्त।	
30	कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति।	
	अध्याय - 6 व्यापार का विनियमन **(REGULATION OF TRADING)**	34 - 41
31	मण्डी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनियमन।	
32	अनुज्ञप्तियाँ मंजूर करने की शक्ति।	
33-क	एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये अनुज्ञप्ति।	
33	अनुज्ञप्तियाँ रद्द करने या निलम्बित करने की शक्ति।	
34	अपील।	
35	इस अधिनियम के अधीन विहित की गयी व्यापारिक छूटों से भिन्न व्यापारिक छूटों का प्रतिषेध।	
36	अधिसूचित कृषि-उपज का मण्डियों में विक्रय।	
37	क्रय तथा विक्रय की शर्तें।	
37-क	संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का विनियमन।	
	अध्याय - 7 मण्डी समिति निधि **(MARKET COMMITTEE FUND)**	41 - 43
38	मण्डी समिति निधि।	
39	मण्डी समिति निधि का उपयोजन।	

	अध्याय - 8 मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड **(MADHYA PRADESH STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD)**	43 - 50
40	मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड।	
40-क	राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति।	
41	बोर्ड का गठन।	
42	उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि।	
42-क	उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद त्याग।	
42-ख	बोर्ड के सदस्यों को भत्ते।	
42-ग	बोर्ड के सदस्य की निरर्हता।	
42-घ	प्रबंध संचालक तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति।	
42-ड़	उपसमितियों की नियुक्ति।	
43	राज्य विपणन विकास निधि।	
44	प्रयोजन, नके लिए मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि व्यय की जायेगी।	
45	उधार लेने की बोर्ड की शक्ति।	
46	बोर्ड के कर्तव्य तथा कृत्य।	
47	बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियाँ।	
	अध्याय - 9 शास्ति **(PENALTY)**	51 - 54
48	धारा 6 धारा 31 उल्लंघन के लिये शास्ति।	
49	अन्य धाराओं के उल्लंघन के लिये शास्ति।	
50	मण्डी समिति तथा अध्यक्ष की शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्ति।	
51	मण्डी शोध्यों की वसूली।	
52	अपराधों का संज्ञान।	
53	अपराधों का प्रशमन समझौता।	

	अध्याय - 10 नियंत्रण **(CONTROL)**	54 - 62
54	मंडियों का निरीक्षण तथा मण्डी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जॉच।	
55	मण्डी समिति के सदस्य, ध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का हटाया जाना।	
56	मण्डी समिति का अतिष्ठान।	
57	धारा (13) अधीन विघटन के परिणाम।	
57-क	निर्वाचनों को मुल्तवी करने की राज्य सरकार की शक्ति।	
58	हानि, व्यवय या दुरूपयोजन आदि के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों का दायित्व।	
59	मण्डी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने की शक्ति।	
	अध्याय - 11 प्रकीर्ण	62 - 65
60	अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति।	
61	राशियों की भू-राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली।	
62	पुलिस अधिकारी के कर्तव्य।	
63	हानि, कमी तथा वसूल न होने योग्य फीसों को बट्टे खाते डालने की शक्ति।	
64	मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आदि लोक सेवक होंगे।	
65	शक्तियों का प्रत्यायोजन।	
66	सिविल वाद का वर्जन।	
66-क	निर्वाचन याचिका।	
67	सूचना न दिये जाने की दशा में वाद का वर्जन।	
68	कार्यवाहियॉ रिक्ति **(VACANCY)** के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी।	

	अध्याय - 12 मण्डी की सीमाओं में परिवर्तन **(ALTERATION OF LIMITS OF MARKETS)**	66 - 74
69	मण्डी-फीस से छूट देने की शक्ति।	
70	मण्डी-क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें समामेलित करने या उनको विपाटित करने के आशय की अधिसूचना।	
71	धारा 70 के अधीन अधिसूचना के पश्चात् की प्रक्रिया।	
72	सीमाओं का परिवर्तन , समामेलन या विपाटन होने पर मण्डी समितियों के गठन आदि के संबंध में परिणामिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति।	
73	सीमाओं के परिवर्तन का परिणाम।	
74	समामेलन **(Amalgamation)** का परिणाम।	
75	विपाटन का परिणाम।	
76	विपाटित मण्डी समिति की आस्तियाँ तथा दायित्वों का प्रभाजन।	
77	नवीन मण्डी समिति द्वारा या उसके विरूद्ध वाद।	
78	समामेलित या विपाटित मण्डी समिति या समितियों के विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति।	
	अध्याय - 13 नियम तथा उपविधियाँ **(RULES AND BYELAWS)**	74 - 79
79	नियम बनाने की शक्ति।	
80	उपविधियाँ बनाने की शक्ति।	
81	उपविधियाँ बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए निदेश देने की प्रबंध संचालक की शक्ति।	
81-क	विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति।	
	अध्याय - 14 निरसन तथा व्यावृत्तियाँ (Repeal and Saving)	79 - 80
82	निरसन तथा व्यावृत्तियाँ।	

2(1)(क)	अनुसूची **(SCHEDULE)**	80 - 86

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972

{अधिनियम क्र. 24/1973 म0प्र0}

{राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 18 अप्रेल, 1973 को प्राप्त हुई और इस अनुमति का प्रकाशन म0प्र0राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27 अप्रेल 1973 को प्रथम बार किया गया।}

मध्यप्रदेश राज्य में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का अधिक अच्छा विनियम करने के लिये तथा कृषि संबंधी मण्डियों की स्थापना एवं उनके उचित प्रशासन के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में म0प्र0 विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय - 1
प्रारम्भिक

धारा 1.

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ -

(1) यह अधिनियम **''मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972''** कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

धारा 2.

परिभाषाएँ -

(1) (क) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **''कृषि-उपज''** से अभिप्राय कृषि, उद्यान-कृषि, पशु-पालन, मधुमख्खी पालन, मत्स्य पालन या वन संबंधी समस्त उत्पादन से है, [1]{.....} जो कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

[2]{(ख) **''कृषक''** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी जीविका का साधन पूर्णत: कृषि उपज पर आधारित हो और जो अपने स्वयं के लिये-

(एक) अपने स्वयं के श्रम द्वारा या

(दो) अपने पति या अपनी पत्नी के श्रम द्वारा या

(तीन) अपने व्यक्तिगत् पर्यवेक्षण या अपने कुटुम्ब के किसी ऐसे सदस्य के, जो कि उपर उपखण्ड (दो) में विनिर्दिष्ट है व्यक्तिगत् पर्यवेक्षण के अधीन भाड़े के श्रमिक द्वारा या ऐसी मजदूरी पर, जो कि नकद या वस्तु के रुप में देय हो

[1] संशोधन अधिनियम क्र. 5/1990 द्वारा संशोधित म.प्र. दिनांक 6.2.1990 पृ. 232-233 अधिसूचना क्र. डी 15-1-90-चौदह-तीन दिनांक 07.02.90, म0प्र0 राजपत्र असाधारण दिनांक 08.02.90 द्वारा प्रभावी किया गया।

[2] अधिनियम क्र. 11/1985 द्वारा प्रतिस्थापित। म.प्र.राजपत्र असाधारण दि. 23.7.1985 पृ. 1397-1400, 25.7.85 से प्रभावशील।

किन्तु फसल के अंश के रुप में देय न हो, रखे गये नौकरों द्वारा, खेती करता हो, किन्तु उसके अंतर्गत कृषि-उपज का कोई व्यापारी, आढ़तिया, प्रसंस्करणकर्ता (प्रोसेसर), दलाल, तुलैया या हम्माल नहीं आता है भले ही ऐसा व्यापारी, आढ़तिया, प्रसंस्करणकर्ता, दलाल, तुलैया या हम्माल कृषि-उपज के उत्पादन में भी लगा हुआ हो;

(ग) **''बोर्ड''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड;

(घ) **''उपविधियों''** से अभिप्रेत है धारा 80 के अधीन बनायी गयी उपविधियां;

(घघ) **''कलक्टर''** से अभिप्रेत है जिले का कलक्टर और उसके अंतर्गत अपर कलक्टर आता है;

(ड.) **''आढ़तिया''** से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो अपने नियोक्ता ''व्यापारी''[1] की ओर से तथा प्रत्येक संव्यवहार में अंतर्वलित रकम पर कमीशन या प्रतिशतता के प्रतिफल स्वरुप कृषि-उपज का क्रय करता है तथा नगद भुगतान करता है, उसे अपनी अभिरक्षा में रखता है और सम्यक् अनुक्रम में उसे नियोक्ता व्यापारी को परिदत्त करता है या जो मण्डी क्षेत्र के बाहर से, विक्रय के लिये भेजी गयी कृषि-उपज को प्राप्त करता है तथा अपनी अभिरक्षा में लेता है, मण्डी क्षेत्र में उसे बेचता है तथा क्रेता से उसके लिये भुगतानों का संग्रहण करता है और अपने नियोक्ता व्यापारी को विक्रय आगम भेजता है;

[2]{''(ड.ड.) **''संविदा खेती''** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर अन्य व्यक्ति के साथ कृषि-उपज की खेती इस प्रभाव के लिखित करार के अधीन करना कि उसकी कृषि-उपज करार में विनिर्दिष्ट दर पर क्रय की जाएगी.''य.}

[2](च) **''प्रबंध संचालक''** से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन नियुक्त मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का प्रबंध संचालक और वह आयुक्त, मण्डी, मध्यप्रदेश भी होगा;''

(छ) **''मण्डी''** से अभिप्रेत है धारा 4 के अधीन स्थापित की गई मण्डी;

(ज) **''मण्डी क्षेत्र''** से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जिसके लिये धारा 4 के अधीन मण्डी स्थापित की गयी हो;

(झ) **''मण्डी समिति''** से अभिप्रेत है धारा 11 के अधीन गठित की गयी समिति;

(ञ) **''मण्डी कृत्यकारी''** के अंतर्गत आता है दलाल, आढ़तिया, निर्यातक, ओटने वाला, आयातक, दबाने वाला (प्रेसर) प्रसंस्करणकर्ता, स्टाकिस्ट, व्यापारी, तुलैया, भण्डागारिक, हम्माल, सर्वेक्षक तथा ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे नियमों या उपविधियों के अधीन मण्डी कृत्यकारी के रुप में घोषित किया जाये;

[1] संशोधन अधि. क्र. 24/1986 म.प्र.राजपत्र असाधारण दि. 21.7.86 पृ. 1126-1134 पर प्रकाशन के अधीन प्रतिस्थापित।

[2] संशोधन अधि. क्र. 15/2003 म.प्र.राजपत्र असाधारण दि. 28.4.2003 पृ. 474 पर प्रकाशन के अधीन अंत:स्थापित।

(ट) **''मूल मण्डी''** से, किसी मण्डी-प्रांगण के संबंध में, अभिप्रेत है कोई ऐसा क्षेत्र जो धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन मूल मण्डी (मार्केट प्रापर) घोषित किया गया हो;

(ठ) **''मण्डी-प्रांगण या उपमण्डी-प्रांगण''**[1] से किसी मण्डी-क्षेत्र के संबंध में अभिप्रेत है कोई ऐसा विनिर्दिष्ट स्थान जिसे धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन मण्डी-प्रांगण या उपमण्डी-प्रांगण घोषित किया गया हो;

''स्पष्टीकरण'' : अभिव्यक्ति ''उपमण्डी प्रांगण'' के अंतर्गत ''हाट बाजार'' आते हैं;''

(ड) **''अधिसूचित कृषि-उपज''** से किसी मण्डी के संबंध में अभिप्रेत है समस्त ऐसी उपज जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हो;

[2]''(ड-1) **''अन्य पिछड़ा वर्ग''** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 में यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों का अन्य पिछड़ा वर्ग'';

(डड) **''छोटा व्यापारी''**[3] से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक समय पर स्टाक में विभिन्न प्रकार की अधिसूचित कृषि-उपज दस क्विंटल से या कोई एक अधिसूचित कृषि-उपज चार क्विंटल से अधिक न रखता हो :

परन्तु वह किसी भी एक दिन में चार क्विंटल धान्य से या दो क्विंटल तिलहनों, दालों तथा तन्तु फसलों से अधिक का क्रय नहीं करेगा;

(डडड) **''प्रसंस्करण''** से अभिप्रेत है चूर्ण करना, पेरना, छिलका उतारना, भूसी निकालना, अर्धोष्ण करना, ओटना, दबाना, सुखाना या कोई अन्य अभिक्रिया जो किसी कृषि-उपज या उसके उत्पादन पर उसके अंतिम उपभोग के पूर्व की जाती है;

(डडडड) **''प्रसंस्करणकर्ता''** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो कृषि-उपज का प्रसंस्करण शारीरिक श्रम से या यांत्रिक साधनों द्वारा करता हो;

[4]{ (डडडडड) **''अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों''** का वही अर्थ होगा जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमश: खण्ड (24) और (25) में दिया गया है''.

(ढ) लोप किया।[5]

[1] संशोधन अधि क्र. 24/1986 म.प्र.राजपत्र असाधारण दि. 21.7.86 पृ. 1126-1134 पर प्रकाशन के अधीन प्रतिस्थापित।

[2] संशोधन अधि क्र. 27/1997 म.प्र.राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 पृ. 568 (1) - 568 (13) पर प्रकाशन के अधीन अंत:स्थापित।

[3] संशोधन अधि. क्र. 26/1987 म.प्र.राजपत्र असाधारण दि. 1.6.87 पृ. 1259 पर प्रकाशन के अधीन प्रतिस्थापित किया जाकर 8 अप्रैल, 1987 से लागू किया जाना समझा जाएगा।

[4] संशोधन अधि क्र. 27/1997 म.प्र.राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 पृ. 568 (1) - 568 (13) पर प्रकाशन के अधीन अंत:स्थापित।

[5] संशोधन अधिनियम क्र. 24/1986 म.प्र.राजपत्र असाधारण दिनांक 21.7.1986, पृ. 1126-1134 पर प्रकाशन के अधीन विलुप्त।

(ण) **''सचिव''** से अभिप्रेत है किसी मण्डी समिति का सचिव;

(त) **''व्यापारी''**[1] से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने कारबार के प्रसामान्य अनुक्रम में किसी अधिसूचित कृषि-उपज का क्रय या विक्रय करता है और उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो कृषि-उपज के प्रसंस्करण में लगा हो किन्तु उसके अंतर्गत इस उपधारा के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित कृषक नही है।

(2) यदि यह प्रश्न उद्‌भूत हो कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये कृषक है या नहीं, तो उस जिले के कलक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा जिसमें कि ऐसा व्यक्ति कृषि उपज की पैदावार या वृद्धि में लगा हो।

अध्याय 2
मण्डियों की स्थापना
(ESTABLISHMENT OF MARKETS)

धारा 3.
विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का विनियमन करने के आशय की अधिसूचना-

(1) किसी ऐसे क्षेत्र में के, जिसके कि लिये मण्डी का स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी कृषि उपज पैदावार करने वालों द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर या अन्यथा, राज्य शासन, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी अन्य रीति में जो कि विहित की जाये, [2]{कृषि-उपज के क्रय-विक्रय का ऐसे क्षेत्र में विनियमन करने के लिये} जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, मण्डी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में यह कथित होगा कि किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा जो कि राज्य शासन को, अधिसूचना विनिर्दिष्ट की जाने वाली कालावधि के, जो एक मास से कम न हो भीतर प्राप्त हो।

[1] संशोधन अधि. क्र. 26/1987 म.प्र.राजपत्र असाधारण दि. 1.6.87 पृ. 1259 पर प्रकाशन के अधीन प्रतिस्थापित किया जाकर 8 अप्रैल, 1987 से लागू किया जाना समझा जाएगा।

[2] संशोधन अधिनियम क्र. 24/1986 म.प्र.राजपत्र असाधारण दिनांक 21.7.1986

[3] संशोधन अधिनियम क्र. 24/1986 म.प्र.राजपत्र असाधारण दिनांक 21.7.1986, पृ. 1126-1134 द्वारा धान के अधीन मंडियों की स्थापना के दिनांक से प्रभावी।

धारा 4.

मण्डी की स्थापना तथा उसमें अधिसूचित कृषि उपज के विपणन का विनियमन–

धारा 3 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान होने के पश्चात् और ऐसी आपत्तियों तथा सुझावों पर, जो ऐसे अवसान के पूर्व प्राप्त हुये हों, विचार करने के पश्चात् तथा ऐसी जांच, यदि कोई हो जो आवश्यक हो, करने के पश्चात् राज्य शासन अन्य अधिसूचना, द्वारा धारा 3 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये [3]{अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई कृषि उपज के संबंध में} मण्डी स्थापित कर सकेगी [1]{और इस प्रकार स्थापित की गई मण्डी ऐसे नाम से जानी जायेगी, जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

धारा 5.

मण्डी प्रांगण तथा मूल मण्डी–

(1) (क) प्रत्येक मण्डी क्षेत्र में–

(एक) एक मण्डी प्रांगण होगा और

(दो) [1]{एक से अधिक उप मण्डी प्रांगण हो सकेगे।

(ख) प्रत्येक मण्डी प्रांगण [4]{या उप मण्डी प्रांगण} के लिये एक मूल मण्डी होगी।

(2) राज्य शासन धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अधिसूचना द्वारा–

[2](क) ''किसी विनिर्दिष्ट स्थान को, जिसके अंतर्गत मण्डी क्षेत्र में कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र आता है, यथा स्थिति मण्डी-प्रांगण या उप मण्डी प्रांगण घोषित करेगी और''

(ख) [1]{यथास्थिति} ऐसे मण्डी-प्रांगण या उप मण्डी प्रांगण} के संबंध में, मण्डी क्षेत्र में के किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मूल मण्डी घोषित करेगी।

धारा 6.

अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन का नियंत्रण–

धारा 4 के अधीन किसी मण्डी की स्थापना होने पर –

(क) कोई भी स्थानीय प्राधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, मण्डी क्षेत्र में के किसी स्थान का किसी अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन के लिये न तो निर्माण करेगा न उसकी स्थापना करेगा, न उसको चालू रखेगा

[1] संशोधन अधिनियम क्र. 24/1986 द्वारा अंत:स्थापित, म.प्र.राजपत्र, दिनांक 21.7.1986, पृ. 1126-1134 प्रकाशन द्वारा संशोधन।

[2] संशोधन अधिनियम क्र. 24/1986 म.प्र.राजपत्र असाधारण दिनांक 21.7.1986

और न उसको उपयोग में लायेगा या न उसका निर्माण किये जाने, न उसकी स्थापना की जाने, न उसको चालू रखे जाने और न उसको उपयोग में लाये जाने की अनुज्ञा ही देगा;

(ख) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों के अनुसार के सिवाय–

(एक) मण्डी–क्षेत्र में के किसी स्थान को अधिसूचित कृषि–उपज के विपणन के लिये उपयोग में नहीं लायेगा; या

(दो) मण्डी क्षेत्र में मण्डी कृत्यकारी के रुप में कार्य नहीं करेगा:

परन्तु इसमें की कोई भी बात–

(क) ऐसी कृषि उपज के विक्रय या क्रय को–

(एक) जिसका कि उत्पादक स्वयं उसका विक्रेता हो और ऐसा विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कि उसे अपने स्वयं के घरेलू उपभोग के लिये खरीदता हो, एक बार में चार क्विंटल से अनधिक परिमाण में किया जाता हो;

(दो) जो सिर पर रखकर लाई गई हो;

(तीन) जिसका क्रय या विक्रय किसी छोटे व्यापारी द्वारा किया जाता हो;

[1]{(चार)} लुप्त।

(पांच) जिसका क्रय किसी प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार द्वारा भारतीय खाद्य निगम से, मध्यप्रदेश राज्य वस्तु व्यापार निगम से या किसी अन्य ऐसे अभिकरण या संस्था से किया जाता हो जिसे राज्य सरकार द्वारा लोक वितरण पद्धति से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो।

(ख) किसी सहकारी सोसायटी से कोई अग्रिम प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये ऐसी कृषि उपज के उसे किये गये अन्तरण को लागू नहीं होगी;

परन्तु यह और भी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से ऐसे मण्डी क्षेत्र के संबंध में, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, उस छूट को प्रत्याहत (withdraw the exemption) कर सकेगी जो कि पूर्ववर्ती परन्तुक के खंड (क) के उपखंड (दो) के अधीन दी गयी हो।

अध्याय 3
मण्डी समितियों का गठन
(CONSTITUTION OF MARKET COMMITTEES)

धारा 7.
मण्डी समिति की स्थापना तथा उसका निगमन–

(1) प्रत्येक मण्डी–क्षेत्र के लिये एक मण्डी समिति होगी जिसकी अधिकारिता सम्पूर्ण मण्डी–क्षेत्र पर होगी।

(2) प्रत्येक मण्डी समिति उस नाम से, जो कि ऐसी मण्डी के लिये धारा 4 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, एक निगमित निकाय (Body Corporate) होगी। उसका शाश्वत उत्तराधिकार (Perpetual Succession) होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा और ऐसे निर्बन्धनों (Restrictions) जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित किये जायें, अध्यधीन रहते हुये, वह संविदा करने के लिये तथा किसी भी सम्पत्ति को अर्जित (acquire) करने, धारण करने, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अंतरित (Transfer) करने के लिये और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक समस्त अन्य बातें करने के लिये सक्षम होगी

[1]{''परन्तु कोई भी स्थावर संपत्ति प्रबंध संचालक की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना अर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि कोई भी स्थावर संपत्ति राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों में विहित रीति से भिन्न रीति में विक्रय, के द्वारा पट्टे के द्वारा या अन्यथा अन्तरित नहीं की जाएगी.''.}

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी भी अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुये भी, प्रत्येक मण्डी समिति समान्त प्रयोजनों के लिये स्थानीय प्राधिकारी समझी जायेगी।

धारा 8.
स्थानीय प्राधिकारी की सम्पत्ति का मण्डी समिति में निहित (अमेजपदह) होना–

(1) मण्डी समिति किसी स्थानीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह उसे अपनी कोई ऐसी भूमि या भवन, जो मण्डी–प्रांगण के भीतर स्थित हो और जो मण्डी की स्थापना के अव्यवहित पूर्व (immediately before the establishment of the market) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मण्डी के प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाया जाता था, अंतरित कर दे और स्थानीय प्राधिकारी अध्यपेक्षा प्राप्त होने के एक मास के भीतर यथास्थिति भूमि या भवन, को ऐसे निबन्धनों पर, जिनका कि उनके बीच करार हो जाय, मण्डी समिति को अन्तरित कर देगा।

[1] संशोधन अधि क्र. 27/1997 म.प्र.राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा लोप किया गया।

[2] संशोधन अधि. क्र. 15/2003 म.प्र.राजपत्र असाधारण दि. 28.4.2003 पृ. 474 पर प्रकाशन के अधीन

(2) जहाँ स्थानीय प्राधिकारी को उपधारा (1) के अधीन अध्यपेक्षा (requisition) प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी तथा मण्डी समिति के बीच उक्त उपधारा के अधीन कोई करार न हो पाये, वहाँ मण्डी समिति द्वारा अपेक्षित भूमि या भवन इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये समिति में निहित हो जायेगा और स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे प्रतिकर (compensation) का संदाय कर दिया जायेगा जैसा कि कलेक्टर द्वारा उपधारा (5) के अधीन अवधारित किया जाये:

परन्तु किसी स्थानीय प्राधिकारी को कोई प्रतिकर किसी ऐसी भूमि या भवन के संबंध में देय नहीं होगा जो ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के गठन से संबंधित अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट उपबंधों के आधार पर इसमें निहित हुआ था किन्तु ऐसे निहित होने के लिये किसी भी रकम का संदाय नहीं किया गया था :

परन्तु यह और भी कि कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी पक्षकार, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।

(3) स्थानीय प्राधिकारी उपधारा (2) के अधीन मण्डी समिति में निहित होने वाली भूमि या भवन का कब्जा ऐसे निहित होने से सात दिन की कालावधि के भीतर परिदत्त कर देगा और पूर्वोक्त कालावधि के भीतर स्थानीय प्राधिकारी के ऐसा करने में चूक होने पर, कलेक्टर उस भूमि या उस भवन का कब्जा ले लेगा और उसे मण्डी समिति को परिदत्त (Delivered) करावेगा।

(4) राज्य सरकार का आदेश तथा उस आदेश के अध्ययीन रहते हुये उपधारा (2) के अधीन कलेक्टर का आदेश अंतिम होगा और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

(5) कलेक्टर भूमि या भवन के लिये प्रतिकर की रकम निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुये नियत करेगा:-

(एक) वार्षिक भाटक (annual rent) जिस पर उस भवन को वर्ष प्रति वर्ष भाड़े पर दिये जाने की युक्तियुक्त रुप से प्रत्याशा की जा सकती हो

(दो) भवन की दशा;

[1]{(तीन) ऐसे भूमि के अर्जन (acquisition) के लिये स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दी गई प्रतिकर की रकम और उस भूमि का वर्तमान बाजार मूल्य; और}

[1]{(चार) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस भूमि पर परिनिर्मित किये गये किसी भवन की या भूमि पर निष्पादित किये गये किसी अन्य कार्य की लागत या उसका बाजार मूल्य।}

[1] संशोधन अधिनियम क्र. 15/2003 म.प्र.राजपत्र असाधारण दिनांक 28.4.2003 पृ. 474 द्वारा संशोधित।

(6) उपधारा (5) के अधीन नियत किये गये प्रतिकर का, मण्डी समिति के विकल्प (option) पर एक मुश्त राशि में या दस से अनधिक इतनी समान वार्षिक किश्तों में, जितनी कि कलेक्टर नियत करे, संदाय किया जा सकेगा। जहाँ प्रतिकर का संदाय किश्तों में किया जाय, वहाँ उस पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा जो किश्त के साथ देय होगा।

धारा 9.

बोर्ड या मण्डी समिति के लिये भूमि का अर्जन–

(1) जब मण्डी–क्षेत्र के भीतर की कोई भूमि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अपेक्षित हो और बोर्ड या मण्डी समिति उसे करार द्वारा अर्जित करने में असमर्थ हो, तब राज्य सरकार, यथास्थिति बोर्ड या मण्डी समिति के निवेदन पर, ऐसी भूमि को लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) के उपबन्धों के अधीन अर्जित करने की कार्यवाही कर सकेगी और उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णीत किये गये प्रतिकर का तथा किन्हीं अन्य प्रभारों का, जो कि उस अर्जन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत किये गये हों, मण्डी समिति द्वारा संदाय किया जाने पर, वह भूमि यथास्थिति बोर्ड या मण्डी समिति में निहित हो जायगी।

[1]{''(2) कोई भूमि जो उपधारा (1) के अधीन बोर्ड या मण्डी समिति के लिए अर्जित की जा चुकी हो और उसमें निहित हो, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार ही विक्रय के द्वारा, पट्टे के द्वारा या अन्यथा अन्तरित की जाएगी.''.}

[1]{ (3) मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में और उसके अधीन बनाये गये नियमों में, जहाँ तक कि वे भूमि के व्यपवर्तन, कृषि से किसी अन्य प्रयोजन के लिये भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो जाने के परिणामस्वरुप भू–राजस्व के पुनरीक्षण तथा उससे आनुषंगिक अन्य विषयों से संबंधित है, अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसी भूमि को लागू नहीं होगी जो कि मण्डी समिति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अर्जित की गई हो या जो अन्तरण द्वारा, क्रय द्वारा, दान द्वारा, या अन्यथा अर्जित की गई हो और किसी मण्डी–प्रांगण या किसी उपमण्डी प्रांगण की स्थापना के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई गई हो :

परन्तु मण्डी–प्रांगण, उपमण्डी प्रांगण के लिये या बोर्ड के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाये गये परिसरों के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि वे यथास्थिति नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद, अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी की सीमाओं में सम्मिलित हैं।}

[1] संशोधन अधिनियम क्र. 24/1986 म.प्र.राजपत्र असाधारण दिनांक 21.7.1986 पृ. 1126–1134 द्वारा अंतस्थापित.

[2] संशोधन अधिनियम क्र. 15/2003 म.प्र.राजपत्र असाधारण दिनांक 28.4.2003 पृ. 474 (1) द्वारा अंतस्थापित.

धारा 10.

प्रथम मण्डी समिति का गठन होने तक भारसाधक अधिकारी की नियुक्ति–

(1) जब इस अधिनियम के अधीन कोई मण्डी प्रथम बार स्थापित की जाती है तो [1]{प्रबंध संचालक} आदेश द्वारा [2]{दो वर्ष से अनधिक} कालावधि के लिये किसी व्यक्ति को भार साधक अधिकारी के रुप में नियुक्त करेगा। भार साधक अधिकारी [3]{प्रबंध संचालक} के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये, इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा समस्त कर्तव्यों का पालन करेगा:

परन्तु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलम्बित होने की दशा में यह समझा जायेगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति [4]{प्रबंध संचालक} द्वारा यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जायेगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है, तब तक कलेक्टर द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक के रुप में कार्य करेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि मण्डी समिति का गठन पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने तक के पूर्व हो जाता है तो ऐसा भारसाधक अधिकारी नवीन रुप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये नियत की गई तारीख से अपने पद पर नही रहेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये किसी भी भारसाधक अधिकारी को, किसी भी समय [1]{प्रबंध संचालक} द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन भारसाधक के रुप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिये वेतन तथा भत्ते, जो कि [1]{प्रबंध संचालक} द्वारा नियत किये जायें, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया भारसाधक अधिकारी उस उपधारा के अधीन अपनी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, उस तारीख तक पद धारण किये रहेगा जो कि नवीन रुप से गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिये [3]{धारा 13 की उपधारा (1)} के अधीन नियत की गई है।

धारा 11.

मण्डी समिति का गठन–

(1) मण्डी समिति में निम्नलिखित होंगे :–

''(क) धारा 12 के अधीन निर्वाचित अध्यक्ष;

(ख) कृषकों के दस प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हतायें रखते हों जैसी कि विहित की जायें, जो किसी मण्डी क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में से इस अधिनियम और

[3] अध्यादेश क्र. 1/1994 राजपत्र असाधारण दि. 16.1.94 तथा संशोधन अधिनियम क्र. 8/1994 राजपत्र, असाधारण दि. 25.3.94 पृ. 270(3-5) तथा संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 राजपत्र म.प्र. दि. 30.5.97 पृष्ठ 568(1) - 568(13) द्वारा संशोधित।

[4] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97

[3] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97

उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये हों।

स्पष्टीकरण :-

इस खण्ड में अभिव्यक्ति ''कृषकों के प्रतिनिधि'' के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र का कोई ऐसा कृषक नहीं आयेगा यदि ऐसे कृषक का कोई नातेदार अर्थात् पत्नी, पति, पिता, माता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री, पिता का पिता, पिता का भाई, पिता की बहिन, माता का पिता, माता का भाई या बहिन, पिता के भाई का पुत्र या पुत्री, पिता की बहिन का पुत्र या पुत्री, माता के भाई का पुत्र या पुत्री, माता की बहिन का पुत्र या पुत्री, भाई का पुत्र या पुत्री, बहिन का पुत्र या पुत्री, पुत्र की पत्नी, पुत्री का पति, बहिन का पति, पत्नी की बहिन का पति, पिता की बहन का पति, माता की बहन का पति, पुत्र का पुत्र या पुत्री, पुत्री का पुत्र या पुत्री, पत्नी का पिता या माता, पत्नी का भाई या बहिन, पत्नी के भाई का पुत्र या पुत्री, पत्नी की बहिन का पुत्र या पुत्री, पति का भाई, पति के भाई की पत्नी, पति के भाई का पुत्र या पुत्री, राज्य की किसी मण्डी समिति से व्यापारी-अनुज्ञप्ति धारण करता है;

(ग) व्यापारियों का एक प्रतिनिधि जो ऐसी अर्हतायें रखता हो जैसी कि विहित की जायें, जो उन व्यक्तियों द्वारा तथा उन व्यक्तियों में से चुने जायेंगे जो इस अधिनियम के अधीन व्यापारियों के रुप में या प्रसंस्करण कारखानों के स्वामियों या अधिभोगियों के रुप में मण्डी समिति से लगातार दो वर्षो की कालावधि से अनुज्ञप्ति धारण किये हों :

परन्तु किसी ऐसी मण्डी समिति के मामले में, जो धारा 10 के अधीन प्रथमवार स्थापित की गई हो ऐसी मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करने की अर्हकारी कालावधि छह मास होगी :

[1](परन्तु यह और कि कोई भी व्यक्ति मण्डी समिति के व्यापारियों का प्रतिनिधि होने के लिये अर्हित नहीं होगा यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो :

[2](परन्तु यह भी कि व्यापारी का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जायेगा यदि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाए जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है :)

परन्तु यह [1](भी) कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक मण्डी समिति का मतदाता नहीं होगा :

परन्तु यह भी कि कोई भी व्यक्ति तभी मतदाता होगा जबकि-

(एक) उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;
(दो) वह मण्डी समिति का व्यतिक्रमी नहीं हो,

[1] संशोधन अधिनियम क्र, 21/2000 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 13.7.2000 द्वारा अंत:स्थापित/प्रतिस्थापित।
[2] संशोधन अधिनियम क्र, 21/2000 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 13.7.2000 द्वारा अंत:स्थापित/प्रतिस्थापित।

स्पष्टीकरण :- अभिव्यक्ति ''व्यतिक्रमी'' में ऐसा व्यक्ति भी आता है जिसने मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 (क्रमांक 12 सन् 1970) के उपबंधों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा वसूल किये जाने वाले निराश्रित शुल्क के भुगतान करने में व्यतिक्रम किया हो।

(घ) राज्य की विधान सभा तथा लोक सभा के ऐसे सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र की कम से कम पचास प्रतिशत जनसंख्या ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत की स्थानीय सीमाओं के बाहर है:

परन्तु ऐसे निर्वाचन क्षेत्र में जहॉ एक से अधिक मण्डी समितियां विद्यमान हैं, वहॉ [1](लोकसभा के सदस्य को अपना विकल्प देना होगा) कि वह ऐसी मण्डी समितियों में से किस मण्डी समिति में सदस्य होना चाहता है:

[2](परन्तु यह और कि लोक सभा का सदस्य या राज्य विधान सभा का सदस्य जो मण्डी समिति का सदस्य है अपने प्रतिनिधि को जो ऐसी अर्हता रखता हो, जैसी कि विहित की जाये, मण्डी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिये नाम निर्देशित कर सकेगा;)

(ड) ऐसे मण्डी क्षेत्र में कृत्य कर रही सहकारी विपणन सोसायटी का एक प्रतिनिधि जो ऐसी सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा:

परन्तु यदि ऐसे मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक सोसाइटी कृत्य कर रही हैं तो ऐसा सदस्य ऐसी सोसाइटियों की प्रबंधकारिणी समितियों के समस्त सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि इस खंड में की कोई भी बात लागू नहीं होगी यदि किसी सोयाइटी की प्रबंधकारिणी समिति मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के उपबंधों के अधीन अतिष्ठित कर दी गई है।

(च) राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(छ) मण्डी क्षेत्र में काम कर रहे ऐसे तुलैयों तथा हम्मालों का एक प्रतिनिधि जो मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति धारण करता हो जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(ज) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो ऐसे बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का ऐसा अन्य सदस्य होगा जो कि ऐसे बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये।

[1] अधिनियम क्र, 31/2000 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 5.10.2000 पृ. 1286 द्वारा संशोधित।

(झ) जिला भूमि विकास बैंक का एक प्रतिनिधि जो या तो ऐसे बैंक का अध्यक्ष होगा या उसकी प्रबंध समिति का ऐसा अन्य सदस्य होगा जो कि ऐसे बैंक के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाये।

(ञ) मण्डी क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर आने वाली ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि जो जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा :

परन्तु जिला मुख्यालयों में स्थित मण्डी समितियों में ऐसा प्रतिनिधि, केवल जिला पंचायतों के सदस्यों में से ही नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन समस्त सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा, सिवाय ऐसे सदस्यों के, जो खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट किये गये हों और ऐसे सदस्य, जो उपधारा (1) के खण्ड (घ) के द्वितीय परन्तुक के अधीन विशेष आमंत्रित सदस्य हों।

(3) राज्य सरकार मतदाता-सूची को तैयार करने के लिये तथा निर्वाचनों के संचालन के लिये नियम बना सकेगी।

(4) यदि उपधारा (1) के खंड (ख) या (ग) के अधीन निर्वाचक मण्डल एक प्रतिनिधि निर्वाचित करने में असफल रहता है तो कलक्टर यथास्थिति कृषकों या व्यापारियों का प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करेगा।

(5) सदस्य का प्रत्येक निर्वाचन तथा नामनिर्देशन कलेक्टर द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा''।

[1]{ **11-क**

मण्डी क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन तथा स्थानों का आरक्षण-

(1) कलक्टर स्थानीय समाचार पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मण्डी क्षेत्र को इतनी संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा जितनी कि उस क्षेत्र में से चुने जाने वाले कृषकों के प्रतिनिधियों की संख्या हो।

(2) प्रत्येक मण्डी समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थान आरक्षित रखे जाएंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस मण्डी समिति में भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के साथ यथासाध्य वही होगा जो उस मण्डी समिति क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिये ऐसे स्थानों का आवंटन विहित रीति में किया जाएगा।

[1] संशोधन अधिनियम क, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 पृ. 568(14)-568(26) द्वारा प्रतिस्थापित।

(3) जहां किसी मण्डी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये स्थानों की कुल जनसंख्या पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से कम है वहां स्थानों की कुल जनसंख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) उपधारा (2) तथा (3) के अधीन आरक्षित किए गए स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे।

(5) स्थानों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिये कलक्टर द्वारा विहित रीति में आंवटित किए जाएंगे।

11-ख

मत देने के लिए और कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिये अर्हताएं-

(1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति-

(क) जिसका नाम ग्राम के भू-अभिलेखों में भूस्वामी के रुप में प्रविष्ट है;

(ख) जो मण्डी क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करता है;

(ग) जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली है; और

(घ) जिसका नाम इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन तैयार की गई मतदाता सूची में सम्मिलित है,

कृषकों के प्रतिनिधि के निर्वाचन में मत देने के लिये अर्हित होगा:
परन्तु कोई भी व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने के लिए पात्र नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :-
शब्द ''भूमि स्वामी'' का वही अर्थ होगा जो कि उसे मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में दिया गया है।

(2) कोई भी व्यक्ति कृषकों का प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाने के लिए तभी अर्हित होगा जबकि-

(क) उसका नाम मण्डी क्षेत्र की मतदाता-सूची में सम्मिलित है;

(ख) वह कृषक है;

(ग) वह इस प्रकार निर्वाचित किए जाने के लिए अन्यथा निरर्हित नहीं किया गया है;

[1](गग) उसकी दो से अधिक जीवित संतान नहीं है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो :

परन्तु कृषकों का कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जायेगा यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाए जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है.}

(3) कोई भी व्यक्ति कृषकों का प्रतिनिधि होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 36 के अधीन किसी पंचायत के पदधारी होने के लिए निरर्हित है;

(4) कोई भी व्यक्ति यथास्थिति एक से अधिक मण्डी समिति या निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा।}

[2]{ धारा 12.

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन –

(1) अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा उन व्यक्तियों द्वारा जो कृषकों और व्यापारियों के प्रतिनिधियों के निर्वाचन में मत देने के लिये अर्हित हैं, विहित रीति में चुना जाएगा :

परन्तु कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष के रुप में निर्वाचन के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब कि कि वह धारा-11ख की उपधारा (2) और (3) के अधीन निर्वाचित किये जाने के लिये अर्हित न हो।

(2) अध्यक्ष के पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रखे जायेगें और इस प्रकार आरक्षित पदों की संख्या का अनुपात राज्य में ऐसे पदों की कुल संख्या के साथ यथाशक्य वही होगा जो कि राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या के साथ है और ऐसे पद प्रबंध संचालक द्वारा मण्डी समितियों के लिये विहित रीति में आवंटित किए जाएंगे।

(3) अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के पच्चीस प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रखे जायेगें और ऐसे स्थान उन मण्डी समितियों को, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित नहीं है, प्रबंध संचालक द्वारा विहित रीति में आवंटित किये जायेगें।

(4) उपधारा (2) और (3) के अधीन आरक्षित किये गये अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित किये जायेगें।

[1] संशोधन अधिनियम क्र, 21/2000 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 13.7.2000 द्वारा अंत:स्थापित।

[2] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा प्रतिस्थापित।

(5) राज्य में अध्यक्ष के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिये आरक्षित पदों की संख्या भी है) महिलाओं के लिये आरक्षित रखे जायेगें और ऐसे पद प्रबंध संचालक द्वारा भिन्न-भिन्न मण्डी समितियों के लिये विहित रीति में आवंटित किये जायेगे।

(6) कोई भी व्यक्ति एक साथ अध्यक्ष और सदस्य के पद के लिये निर्वाचन लड़ने के लिये पात्र नहीं होगा।

(7) यदि कोई मण्डी क्षेत्र, अध्यक्ष का निर्वाचन करने में असफल रहता है तो उस पद को भरने के लिये नई निर्वाचन कार्यवाहियां छह मास के भीतर प्रारम्भ की जायेगी :

परन्तु मण्डी समिति के गठन की आगे और कार्यवाही अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने के दौरान नहीं रोकी जायेगी :

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के अधीन अध्यक्ष का निर्वाचन लंबित रहने के दौरान उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(8) मण्डी समिति का एक उपाध्यक्ष होगा जो धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन बुलाये गये मण्डी समिति के प्रथम सम्मिलन में मण्डी समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा तथा उन्हीं में से विहित रीति में निर्वाचित किया जायेगा :

परन्तु यदि मण्डी समिति का अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का नहीं है तो उपाध्यक्ष ऐसी जातियों या जनजातियों या वर्गो के निर्वाचित सदस्यों में से निर्वाचित किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति उपाध्यक्ष के रुप में निर्वाचन के लिये तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह कृषक न हो।

(9) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रत्येक निर्वाचन कलक्टर द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा‘‘।

[1]{ धारा 12-क

अभिलेखों तथा सम्पत्ति का कब्जा लेना-

(1) जहॉ कलक्टर का यह समाधान हो जाये कि किसी मण्डी समिति की पुस्तकों तथा अभिलेखों का दबा दिया जाना, बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना संभाव्य है या किसी मण्डी समिति की निधियों तथा सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया जाना या दुरुपयोजन किया जाना संभाव्य है, वहॉ कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसको कि अधिकारिता के भीतर वह मण्डी समिति कृत्य कर

[1] संशोधन अधिनियम क्र, 18/1979 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 7.6.79 पृ. 1961-1965 द्वारा अंतस्थापित।

रही हो, मण्डी समिति के अभिलेखों तथा सम्पत्ति का अभिग्रहण करने तथा कब्जा लेने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, मजिस्ट्रेट किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो उपनिरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो, इस बात के लिये प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी भी ऐसे स्थान में, जहाँ कि ऐसे अभिलेख तथा सम्पत्ति रखी हुई हो या जहाँ कि उनका रखा जाना सम्भाव्य हो, प्रवेश करे तथा उसकी तलाशी ले और उनका अभिग्रहण करके उनका कब्जा यथास्थिति कलेक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को सौंप दे।

[1]{धारा 13.

प्रथम सम्मिलन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य की पदावधि, उनके द्वारा त्याग पत्र और उनके पद में रिक्ति–

(1) मण्डी समिति का प्रथम सम्मिलन अध्यक्ष और सदस्यों के निर्वाचन के परिणामों के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर कलेक्टर द्वारा बुलाया जायेगा।

(2) मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य मण्डी समिति के प्रथम सम्मिलन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के लिये पद धारण करेगें :

[3]''परन्तु यदि मण्डी समिति का अवसान हो जाने पर नई मण्डी समिति का गठन नही किया जाता है तो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मंडी समिति की अवधि में वृद्धि ऐसे अवसान होने की तारीख से, ऐसी वृद्धि के कारणों को लेखबद्ध करते हुये छह मास की कालावधि के लिये कर सकेगी और यदि नई मंडी समिति का गठन इस बढ़ाई गई अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि वह विघटित हो गई है और उस दशा में धारा 57 के उपबंध लागू होगें.''.

(3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय कलेक्टर को लिखित में संबोधित करके अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्याग–पत्र कलेक्टर द्वारा उसके स्वीकार किये जाने की तारीख से प्रभावी होगा।

(4) कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, पंचायत या किसी सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या उपाध्यक्ष (वाईस चेयरपर्सन) के रुप में निर्वाचित है, यदि वह मण्डी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रुप में निर्वाचित हो जाता है या इसके विपरित निर्वाचित अर्थात मण्डी समिति में निर्वाचित अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उक्त निकायों का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है, तो वह लिखित में एक सूचना द्वारा, जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और जो [2]{कलेक्टर} को ऐसी तारीख के या उसी तारीखों में से पश्चात्वर्ती तारीख के, जिसको कि वह उस रुप में

[1] अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 पृ. 568(14)–568(26)

[3] अधिनियम क्र. 4/2005 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 14 मार्च 2005 पृष्ठ क्र. 156.

[2] संशोधन अधिनियम क्र, 28/2001 द्वारा प्रतिस्थापित। म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 27.10.2001 में प्रकाशित। म0प्र0 अधिनियम क्र. 28 सन् 2001 द्वारा संशोधन राजपत्र (असाधारण) दिनांक 27.10.2001 के पृष्ठ 1222 पर प्रकाशित एवं दिनांक 27.12.2001 में प्रवृत हुआ।

निर्वाचित हुआ है, तीस दिन के भीतर परिदत्त की जायेगी, यह प्रज्ञापित करेगा कि वह किस पद को धारण करना चाहता है और तदुपरि ऐसे अन्य निकाय में, जहॉ पद धारण नही करना चाहता है, वहॉ उसका स्थान रिक्त हो जायेगा और पूर्व कालावधि के भीतर ऐसी प्रज्ञापना देने में व्यतिक्रम करने पर, उस कालावधि के समाप्त होने पर, मण्डी समिति में उसका स्थान रिक्त हो जायेगा।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने या उसको हटाये जाने या उपधारा (4) के अधीन रिक्ति हो जाने या अन्यथा उसका पद रिक्त हो जाने की दिशा में यह समझा जायेगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति इस अधिनियम के तथा नियमों के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन द्वारा छह मास के भीतर भरी जायेगी और इस प्रकार निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती की अवधि के अनवसित भाग के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु यदि ऐसे पद की शेष कालावधि छह मास से कम है तो ऐसी रिक्ति नहीं भरी जायेगी।

(6) अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने, उसके द्वारा त्यागप़ दिये जाने या उसको हटा दिये जाने या अन्यथा अध्यक्ष के पद में रिक्ति हो जाने की दशा में, उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो, तो इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निर्वाचित मण्डी समिति का ऐसा सदस्य, जिसे कलेक्टर नियुक्त करे, अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का पालन तब तक करेगा जब तक कि अध्यक्ष सम्यक् रुप से निर्वाचित नहीं हो जाता''

धारा 14.

मूल अधिनियम की धारा 14 का लोप किया।

अध्याय 4
मण्डी समिति के काम-काज का संचालन और उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य

धारा 15.

मण्डी समिति के सम्मेलन की प्रक्रिया तथा गणपूर्ति -

मण्डी समिति के सम्मिलन की प्रक्रिया तथा उसकी गणपूर्ति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाये।

धारा 16.

अध्यक्ष मण्डी समिति के सम्मिलनों की अध्यक्षता करेगा–

अध्यक्ष, और यदि वह अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष मण्डी समिति के प्रत्येक सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा और यदि किसी सम्मिलन में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित हो, तो सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य, जिसे कि सम्मिलन द्वारा चुना जाये, अध्यक्ष के रुप में कार्य कर सकेगा।

धारा 17.

मण्डी समिति की शक्तियां तथा कर्तव्य–

(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुये मण्डी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह–

(क) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों को मण्डी क्षेत्र में कार्यान्वित करे;

(ख) अधिसूचित कृषि उपज का उसमें (मण्डी क्षेत्र में) विपणन करने के लिये ऐसी सुविधाओं का प्रबंध करना जैसा कि 1(प्रबंध संचालक) समय-समय पर निर्देश दे;

(ग) ऐसे अन्य कार्य करना, जो कि मण्डी के अधीक्षण, संचालन तथा नियंत्रण के संबंध में या अधिसूचित कृषि-उपज का मण्डी क्षेत्र में किसी स्थान पर विपणन करने का विनियमन करने के लिये तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित प्रयोजनों के लिये आवश्यक हो और वह उस प्रयोजन के लिये ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर सकेगी जैसे कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबन्धित किये जायें।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मण्डी समिति–

[1](''(एक) मण्डी प्रांगणों तथा उपमण्डी प्रांगणों का सन्निर्माण, अनुरक्षण तथा प्रबंध करेगी और मण्डी क्षेत्र में हाट बाजारों के विकास का प्रोन्नयन करेगी'')

(दो) मण्डी प्रांगण में कृषि-उपज के विपणन के लिये आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध करेगी:

(तीन) मण्डी कृत्यकारियों को अनुज्ञप्तियां मंजूर करेगी या मंजूर करने से इंकार करेगी और ऐसी अनुज्ञप्तियों को नवीकृत, निलंबित या रद्द करेगी :

(चार) मण्डी कृत्यकारियों के आचरण का पर्यवेक्षण करेगी :

[1] अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा प्रतिस्थापित।

(पांच) मण्डी-प्रांगणों में व्यापार आरम्भ करने, बन्द करने तथा निलंबित करने का विनियमन करेगी :

(छः) अनुज्ञप्तियों की शर्तों को प्रवर्तित करेगी :

(सात) अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन से संबंधित विक्रयों का करार करने, उसके कार्यान्वयन तथा प्रवर्तन या रद्दकरण का, अधिसूसचित कृषि-उपज के विपणन से संबंधित तौल, परिदान, भुगतान तथा समस्त अन्य विषयों का विनियमन करेगी;

(आठ) ऐसे समस्त विवादों को, जो कि अधिसूचित कृषि-उपज के विपणन से संबंधित किसी भी प्रकार के संव्यवहार से विक्रेता तथा क्रेता के बीच उद्भूत हुये हों, तय करने के लिये तथा उससे अनुषक्त समस्त मामलों के लिये उपबंध करेगी:

(नौ) अधिसूचित कृषि-उपज के उत्पादन, विक्रय, भण्डारकरण, प्रसंस्करण, कीमतों तथा संचलन के संबंध में जानकारी संग्रहीत करेगी तथा उसे बनाये रखेगी और ऐसी जानकारी को प्रबंध संचालक द्वारा निर्देशित किये गये अनुसार प्रसारित करेगी:

(दस) माल में अपमिश्रण को रोकने के लिये तथा अधिसूचित कृषि-उपज के श्रेणीकरण तथा मानकीकरण के सम्प्रवर्तन के लिये समस्त संभव कार्यवाही करेगी:

(ग्यारह) मण्डी में स्थिरता बनाये रखने की दृष्टि से-

(क) यह सुनिश्चित करने के लिये यथोचित उपाय करेगी कि व्यापारी अपनी सामर्थ्य के परे, कृषि-उपज का क्रय न करे तथा उपज का व्ययन करने में विक्रेताओं को होने वाली जोखम न रहे: ओर

(ख) क्रेताओं की हैसियत के अनुसार नगद या बैंक गारंटी के रुप में आवश्यक प्रतिभूति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही अनुज्ञप्तियां मंजूर करेगी:

(बारह) फीस तथा अन्य शोध्य प्रभारों से संबंधित समस्त धन, जिसे प्राप्त करने के लिये मण्डी समिति प्राधिकृत है, उद्ग्रहीत करेगी तथा वसूल करेगी:

(तेरह) (क) यह सुनिश्चित करेगी कि मण्डी प्रांगण में या मूल मण्डी में हुये संव्यवहारों के संबंध में भुगतान विक्रेता को उसी दिन किया जाये, और इसमें व्यतिक्रम होने पर प्रश्नगत कृषि-उपज को तथा संबंधित व्यक्ति की अन्य संपत्ति को अभिग्रहीत करेगी तथा उसके पुनः विक्रय के लिये व्यवस्था करेगी और हानि होने की दशा में, उस हानि को तथा हानि, यदि

कोई हो, की मूल क्रेता से वसूली करने संबंधी प्रभारों को मूल क्रेता से वसूल करेगी और कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को करायेगी:

(ख) तुलाई तथा हम्माली से संबंधत प्रभारों को वसूल करेगी और उन्हें तुलैयों तथा हम्मालों में वितरित करेगी:

(चौदह) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिये आवश्यक संख्या में अधिकारियों तथा सेवकों को नियोजित करेगी:

(पंद्रह) मण्डी प्रांगण में व्यक्तियों के प्रवेश तथा गाड़ियों के यातायात का विनियमन करेगी:

(सोलह) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं उपविधियों के उपबंधों का अतिक्रमण करने के लिए व्यक्तियों को अभियोजित करेगी और यदि आवश्यक हो तो ऐसे अपराधों का शमन करेगी:

(सत्रह) अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के प्रयोजन से किसी भी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को अर्जित करेगी, धारण करेगी तथा उसका व्ययन करेगी:

(अठारह) कोई वाद, कार्य, कार्यवाही, आवेदन पत्र या माध्यस्थम् संस्थित करेगी या उसमें प्रतिरक्षा करेगी और ऐसे वाद, कार्य, कार्यवाही, आवेदन पत्र या माध्यस्थम् में समझौता करेगी:

(उन्नीस) मण्डी-प्रांगण में किये गये संव्यवहारों के संबंध में माल के तोलने तथा उसके परिवहन के लिये तुलैयों तथा हम्मालों का बारी-बारी से नियोजन करने की व्यवस्था करेगी:

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात उन हम्मालों के नियोजित किये जाने के लिये लागू नहीं होगी जो कि व्यापारियों द्वारा मण्डी प्रांगण से अपने गोदामों तक अपने माल के परिवहन के लिये नियोजित किये जायें।

(3) प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी से, मण्डी समिति, अपने विवेकानुसार निम्नलिखित कर्तव्यों का भार अपने उपर ले सकेगी :-

[1](एक) इस हेतु से कि कृषि उपज के परिवहन तथा भण्डारकरण में सुविधा हो या इस प्रयोजन से कि मण्डी प्रांगण का विकास हो, मण्डी क्षेत्र में सड़कों या गोदामों के सन्निर्माण के लिये (बोर्ड या राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग या किसी अन्य विभाग या उपक्रम) को या प्रबंध संचालक द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी अन्य अभिकरण को अनुदान देना या अग्रिम निधि देना।

[2]{''(दो) विक्रय हेतु उर्वरक, नाशक-जीवमार (पेस्टीसाइड्स), कीटनाशक (इन्सेक्टिसाइड्स), उन्नत बीज, कृषि संबंधी उपस्करों और आधानों (इनपुट्स) का स्टॉक बनाये रखना''}

(तीन) कृषकों को, कृषि उपज का स्टॉक रखने के लिये भण्डारकरण सुविधायें भाटक पर देने की व्यवस्था करना:

[1]{''(चार) गौशाला या संस्थाओं के जो मध्यप्रदेश गौसेवा आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 18 सन् 1995) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हैं, अनुरक्षण के लिये अनुदान देना''}

(4) पूर्व में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त मण्डी समिति निम्नलिखित के लिये भी उत्तरदायी रहेगी-

(एक) अपने अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुई प्राप्तियों तथा किये गये भुगतानों पर उचित अंकुश बनाये रखना:

(दो) मण्डी समिति की निधि पर भारित किये जा सकने वाले समस्त कार्यों का समुचित निष्पादन:

(तीन) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं की और अपनी उपविधियों की एक-एक प्रति निशुल्क निरीक्षण के लिये अपने कार्यालय में रखना : और

(चार) सांसर्गिक पशु रोग फैलने की रोकथाम के लिये निवारक उपायों की व्यवस्था करना।

(5) मण्डी समिति किसी ऐसे भी निर्देश को कार्यान्वित करेगी जिसे कि राज्य सरकार मण्डी प्रांगण में युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रबंध करने के लिये समय-समय पर जारी करे।

(6) यदि मण्डी समिति, उपधारा (5) के अधीन जारी किये गये किसी निर्देश का युक्तियुक्त समय के भीतर अनुपालन करने में चूक करे, तो राज्य सरकार को, मण्डी समिति के खर्चे पर ऐसे निर्देश को प्रवर्तन करने के लिये आवश्यक समस्त शक्तियां प्राप्त होगी।

[1] संशोधन अधिनियम क्र, 18/1979 म.प्र. राजपत्र असाधारण।

[2] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा धारा 17 की उपधारा (3) के खंड (दो) को अंत:स्थापित किया गया, पूर्व में क्र. 24/1986 द्वारा यह लुप्त किया गया था।

[2] संशोधन अधिनियम क्र, 15/2003 म.प्र. राजपत्र असाधारण पृ0 474(1) दि. 28.4.2003 में प्रकाशित।

(7) यदि कोई समिति, किसी भी ऐसी राशि का, जिसकी कि रकम उपधारा (5) के अधीन जारी किये गये किन्हीं निदेशों के आधार पर नियत की गई हो या देय हो भुगतान करने में व्यतिक्रम करे, तो राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति को, जिसके अभिरक्षा में मण्डी समिति की निधि का अतिशेष हो, यह निर्देश देते हुये एक आदेश दे सकेगी कि वह ऐसी भुगतान या तो पूर्ण रुप से या ऐसे भाग में, जो ऐसी निधि में संभव हो, करे।

(8) मण्डी समिति ऐसी समस्त जानकारी देगी जिसकी कि कलेक्टर या संचालक या इनमें से किसी के भी द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत अधिकारी को अपेक्षा हो।

धारा 18.

उप-समितियों की नियुक्ति और शक्तियों का प्रत्यायोजन-

ऐसी शर्तो तथा निबंधनों के अध्यधीन रहते हुये, जैसी कि विहित की जाये, मण्डी समिति, अपने कर्तव्यों या कृत्य में से किसी भी कर्तव्य या कृत्य के पालन या किसी विषय पर रिपोर्ट देने या राय देने के लिये उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जिसमें उसका एक या एक से अधिक सदस्य होंगे और उनमें से किसी भी ऐसी उप समिति को अपनी शक्तियों में से ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगी जैसी कि आवश्यक हो।

धारा 19

मण्डी फीस के उद्ग्रहण की शक्ति -

[1](1) प्रत्येक मण्डी समिति-

(एक) अधिसूचित कृषि उपज, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो, के विक्रय पर: और

(दो) अधिसूचित कृषि उपज पर, चाहे वह राज्य के भीतर से या राज्य के बाहर से किसी मण्डी क्षेत्र में लाई गई हो और प्रसंस्करण में उपयोग के लिये लाई गई हो,

ऐसी दरों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, कीमत के प्रत्येक एक सौ रुपये पर न्यूनतम् पचास पैसे की दर के और अधिकतम् दो रुपये की दर के अध्यधीन रहते हुये नियत की जाये, विहित रीति में मण्डी फीस का उद्ग्रहण करेगी:

परन्तु उस मण्डी समिति को छोड़कर, जिसके मण्डी क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज, यथास्थिति, किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय या प्रसंस्करण हेतु लायी गई हो, कोई मण्डी समिति ऐसी मण्डी फीस का उद्ग्रहण नहीं करेगी:

[1] अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा प्रतिस्थापित। अंत:स्थापित किये गये।

(2) मण्डी-फीस अधिसूचित कृषि उपज के क्रेता द्वारा संदेय होगी और विक्रेता को संदेय कीमत में से नहीं काटी जायेगी:

(परन्तु जहॉ किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रेता पहचाना न जा सके, वहॉ समस्त फीस उस व्यक्ति द्वारा संदेय होगी जिसने कि उपज को बेचा हो या जो उपज को मण्डी क्षेत्र में विक्रय के लिये लाया हो :

परन्तु यह और कि मण्डी क्षेत्र में व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहार होने की दशा में मण्डी फीस विक्रेता द्वारा संग्रहीत की जायेगी तथा संदत्त की जायेगी:

(परन्तु यह और भी कि कृषि-उपज पर, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, 31 मार्च 1990 तक कोई फीस उद्ग्रहित नहीं की जायेगी यदि ऐसी उपज किसी कृषक द्वारा किसी ऐसी सहकारी सोसायटी को, जिसका कि वह सदस्य है, मण्डी प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण के बाहर बेची गई हो:)

[1](परन्तु यह भी कि वाणिज्यिक संव्यवहार के लिये या प्रसंस्करण के लिये मण्डी क्षेत्र में लाई गई कृषि-उपज पर मण्डी फीस, यथास्थिति, क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा, उस दशा में मण्डी समिति के कार्यालय में [1](चौदह दिन) के भीतर जमा की जायेगी, यदि क्रेता या प्रसंस्करणकर्ता ने धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन जारी किया गया अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही किया है'')

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्टि मण्डी फीस किसी अधिसूचित कृषि उपज पर-

(एक) राज्य में से एक से अधिक मण्डी क्षेत्र में: या
(दो) उसी मण्डी क्षेत्र में एक से अधिक बार:

उस दशा में उद्गृहीत नहीं की जायेगी जब कि उसका पुर्नविक्रय -

(क) उपर (एक) की दशा में, उस मण्डी क्षेत्र से, जिसमें वह यथास्थिति किसी कृषक या व्यापारी द्वारा प्रथम बार विक्रय हेतु लाई गई थी या क्रय की गई थी या बेची गई थी तथा उस पर उस मण्डी क्षेत्र में फीस लग चुकी है, भिन्न मण्डी क्षेत्र में, या
(ख) ऊपर (दो) की दशा में उस मण्डी क्षेत्र में-

व्यापारियों के बीच वाणिज्यिक संव्यवहारों के अनुक्रम में या उपभोक्ताओं को किया जाता है, [2]{ बशर्ते संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररुप में, जो उपविधियों में विहित किया जाए, इस प्रभाव की सूचना दे दी गई हो} कि इस प्रकार पुन: बेची जा रही उस अधिसूचित कृषि-उपज पर राज्य के अन्य मण्डी क्षेत्र में फीस पहले ही लग चुकी है।

[1] अधिनियम क्र, 11/1998 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 9.6.98 पृ. 556(1)(2) द्वारा धारा 19(2) में चतुर्थ परन्तुक में (चौदह दिन) प्रतिस्थापित। पूर्व में परन्तुक अधि. क्र. 5/90 (8.2.90 द्वारा अंत:स्थापित हुआ था)
[2] संशोधन अधिनियम क्र, 28/2001 द्वारा प्रतिस्थापित। म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 27.10.2001 में प्रकाशित।
[3] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3](4) यदि यह पाया जाये कि कोई अधिसूचित कृषि-उपज ऐसी उपज पर देय मण्डी फीस के भुगतान के बिना प्रांगण के बाहर प्रसंस्कृत की गई है, पुनः बेच दी गई है या बेच दी गई है तो मण्डी फीस, यथास्थिति, प्रसंस्कृत उपज के बाजार मूल्य या कृषि उपज के मूल्य के पांच गुने के हिसाब से उद्ग्रहीत तथा वसूल की जायेगी)

(5) मण्डी कृत्यकारी जिन्हें कि मण्डी समिति, उपविधियों द्वारा विनिर्दिष्ट करे विक्रय तथा क्रय या प्रसंस्करण से संबंधित लेखे ऐसे प्ररुपों में रखेगें तथा मण्डी समिति को ऐसी नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत करेगें जैसी कि विहित की जाये।

[1]{''(6) कोई भी अधिसूचित कृषि-उपज मण्डी समिति द्वारा ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित की जाए, जारी किए गए अनुज्ञापत्र के अनुसार ही यथास्थिति, मण्डी प्रांगण, मूल मण्डी या मण्डी क्षेत्र से हटाई जाएगी, अन्यथा नहीं :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, यथास्थिति, मण्डी प्रांगण, मूल मण्डी या मण्डी क्षेत्र से अधिसूचित कृषि-उपज के प्रसंस्कृत उत्पाद को हटाता है या उसका परिवहन करता है, तो ऐसा व्यक्ति मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 43 के अधीन जारी किए गए बिल या केश मेमो अपने साथ रखेगा.''.}

(7) मण्डी समिति, मण्डी प्रांगण में प्रवेश करने वाली उन गाड़ियों पर, जो कि भाड़े, पर चलती हों, ऐसी दर से, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये प्रवेश फीस का उद्ग्रहण तथा संग्रहण कर सकेगी।

धारा 19-क

मूल अधिनियम की धारा 19-क का लोप किया।

[2]{ धारा 19-ख

मण्डी फीस के भुगतान में व्यतिक्रम-

{(1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन मण्डी फीस का भुगतान करने के लिये दायी है, उसका भुगतान मण्डी समिति को अधिसूचित कृषि-उपज के क्रय करने के या उसे प्रसंस्करण के लिये मण्डी क्षेत्र में आयात करने के चौदह दिन के भीतर करेगा और उसमें व्यतिक्रम होने पर वह मंडी फीस तथा उसके साथ उस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन मण्डी फीस तथा ब्याज का भुगतान एक मास के भीतर करने में असफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति को उस मण्डी क्षेत्र में या किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में आगे का संव्यवहार करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया

[1] संशोधन अधिनियम क्र, 11/1998 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 9.6.98 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] संशोधन अधिनियम क्र. 11 सन् 1998 द्वारा प्रतिस्थापित। म0प्र0राजपत्र (असाधारण) दिनांक 9.6.1998 में प्रकाशित।

[3] संशोधन अधिनियम क्र, 15/2003 म.प्र. राजपत्र असाधारण पृ0 474(1) दि. 28.4.2003 में प्रकाशित।

[3] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा प्रतिस्थापित।

जायेगा और ब्याज सहित मंडी फीस भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी और ऐसे व्यक्ति की अनुज्ञप्ति रद्द किये जाने के दायित्वाधीन होगी।}

धारा 20

लेखे पेश करने हेतु आदेश देने की शक्ति और प्रवेश, निरीक्षण तथा अभिग्रहण की शक्तियाँ-

(1) [3](मण्डी समिति का सचिव या राज्य सरकार या बोर्ड का कोई भी अधिकारी या सेवक) जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किया गया हो, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये किसी ऐसे व्यक्ति से, जो किसी भी किस्म की अधिसूचित कृषि उपज का कारबार करता हो, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उसके समक्ष ऐसे लेखे तथा अन्य दस्तावेज पेश करे और कोई ऐसी जानकारी दे जो ऐसी कृषि उपज के स्टॉक या ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसी कृषि उपज के क्रय, विक्रय तथा परिदान से संबंधित हो, तथा कोई ऐसी अन्य जानकारी भी दे जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा मण्डी फीस के संदाय से संबंधित हो।

(2) किसी अधिसूचित कृषि उपज के कारबार के मामूली अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा बनाये रखे गये, समस्त लेखे तथा रजिस्टर और कृषि उपज के स्टाकों से संबंधित या ऐसी कृषि उपज के क्रयों, विक्रयों तथा परिदानों से संबंधित दस्तावेजें, जो उसके कब्जे में हों, और ऐसे व्यक्ति के कार्यालय, स्थापनायें, गोदाम, जलयान या गाड़ियां, बोर्ड या मण्डी समिति के ऐसे अधिकारियों या सेवकों के द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये जायें, निरीक्षित की जाने/किये जाने के लिये समस्त युक्तियुक्त समयों पर खुली रहेगी/खुले रहेगें।

(3) यदि किसी ऐसे अधिकारी या सेवक के पास यह संदेह करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन अपने द्वारा शोध्य किसी मण्डी फीस के भुगतान का अपवंचन करने का प्रयत्न कर रहा है या यह कि किसी व्यक्ति ने मण्डी क्षेत्र में प्रवृत इस अधिनियम या नियमों के या उपविधियों के किन्हीं भी उपबंधों के उल्लंघन में किसी अधिसूचित कृषि उपज का क्रय किया है, तो वह लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से ऐसे व्यक्ति के ऐसे लेखे, रजिस्टर या दस्तावेज, जैसे कि आवश्यक हों, अभिग्रहीत कर सकेगा तथा उनके लिये एक रसीद देगा और उन्हें तब तक रखे रहेगा जब तक कि वे उनकी परीक्षा के लिये या अभियोजन के लिये आवश्यक हों।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए ऐसा अधिकारी या सेवक किसी भी कारबार के स्थान, भण्डागार, कार्यालय, स्थापना, गोदाम, जलयान या गाड़ी में, जिसके कि संबंध में ऐसे अधिकारी या सेवक के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उनमें ऐसा व्यक्ति अपने कारबार के लेखे, रजिस्टर या दस्तावेजें या अपने कारबार से संबंध रखने वाली अधिसूचित कृषि उपज के स्टाक रखता है या तत्समय रखे है/प्रवेश कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा।

(5) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1898) की धारा 102 तथा 103 के उपबंध यथाशक्य उपधारा (4) के अधीन तलाशी को लागू होंगे।

(6) जहां कोई लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें किसी स्थान से अभिग्रहीत की जायें और उनमें ऐसी प्रविष्टियां हों जो परिमाण भावों (कुटेशन्स) दरों, धन की प्राप्ति या भुगतान या माल के विक्रय या क्रय के प्रति निर्देश करती हों, वहां ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेजें, उन्हें साबित करने के लिए साक्षी के उपसंजात हुये बिना ही, साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेंगी और ऐसी प्रविष्टियां उन मामलों में, संव्यवहारों तथा लेखाओं की, जिनका कि उनमें अभिलिखित होना तात्पर्यित है, प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य होंगी।

धारा 21
सर्वोत्तम विवेकानुसार फीस निर्धारण–

[1](1) प्रत्येक व्यापारी, प्रसंस्करणकर्ता या आढ़तिया, जो अधिसूचित कृषि उपज का कारबार कर रहा है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रेल के पूर्व, 31 मार्च को समाप्त होने वाले पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान अधिसूचित कृषि उपज के उसके द्वारा या उसके माध्यम से किए गए क्रय या विक्रय का एक विवरण सचिव को विहित रीति में प्रस्तुत करेगा।

(2) सचिव की कार्यवाही से व्यथित कोई व्यक्ति, उसको सूचना के संसूचित किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर मण्डी समिति को अपील कर सकेगा।

(3) राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई अधिकारी अपनी स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार को दिए गए आवेदन पर, [1]{ उस विवरण को, जो सचिव द्वारा सत्यापित किया गया है, सत्यापन की तारीख से दो वर्ष के भीतर, पुनः सत्यापित कर सकेगा} और ऐसा अधिकारी इस प्रयोजन के लिए धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति, जिससे धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन लेखे प्रस्तुत करने या जानकारी देने की अपेक्षा की गई है, ऐसे लेखे प्रस्तुत करने या जानकारी देने में असफल रहता है या जानते हुए अपूर्ण या असत्य लेखे या जानकारी देता है या जिसने अधिसूचित कृषि उपज के क्रय-विक्रय तथा परिदान के उचित लेखें नहीं रखे है तो सचिव, विहित रीति में ऐसे व्यक्ति पर धारा 19 के अधीन उद्ग्रहीत की जाने वाली फीस का निर्धारण करेगा।

(5) राज्य सरकार या बोर्ड द्वारा सशक्त किये गये अधिकारी द्वारा किया गया पुनः सत्यापन या पुनः निर्धारण अन्तिम होगा।

[1] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97, पृष्ठ 568 (14-26) द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 22

मण्डी प्रांगण में हुये अधिक्रमण को हटाने की शक्ति –

[2](सचिव को, ऐसे निर्देशों के अध्यधीन रहते हुये, जो मण्डी समिति इस संबंध में दे,) मण्डी प्रांगण में के किसी खुले स्थान में हुये किसी अधिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने के व्यय उस व्यक्ति द्वारा चुकाये जायेंगे, जिसने कि उक्त अधिक्रमण कारित किया है, और वे उसी रीति से वसूल किये जायेंगे जिस रीति में कि मण्डी समिति को शोध्य कोई भी राशि धारा 61 के अधीन वसूली के योग्य होती है।

धारा 23

गाड़ियों को रोकने की शक्ति –

(1) किसी भी समय, जबकि,–

[1]{‘‘(एक) बोर्ड के किसी ऐसे अधिकारी या सेवक या किसी शासकीय अधिकारी या सेवक द्वारा, जिसे बोर्ड या कलक्टर द्वारा किसी मण्डी क्षेत्र में, इस निमित्त सशक्त किया गया हो, या‘‘}

(दो) संबंधित मण्डी क्षेत्र में, की [3]{राज्य मण्डी बोर्ड सेवा} के किसी सदस्य द्वारा;

(तीन) मण्डी समिति के किसी भी ऐसे अधिकारी या सेवक द्वारा, जिसे मण्डी समिति द्वारा संबंधित मण्डी क्षेत्र में इस संबंध में सशक्त किया गया हो।

ऐसी अपेक्षा की जाये तो यथास्थिति किसी भी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन का चालक या उसका भारसाधक कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति ऐसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन को रोक देगा और उसे उतने समय तक खड़ा रखेगा जो कि युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो तथा ऐसे व्यक्तियों को ऐसी गाड़ी जलयान या अन्य वाहन में की अर्न्तवस्तुओं की परीक्षा करने देगा और ले जाई जा रही अधिसूचित कृषि उपज से संबंधित समस्त अभिलेखों का निरीक्षण करने देगा, और अपना नाम और पता तथा उसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन के स्वामी का नाम और पता और ऐसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन में ले जाई जा रही अधिसूचित कृषि उपज के स्वामी का नाम और पता देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन सशक्त किये गये व्यक्तियों को किसी ऐसी अधिसूचित कृषि उपज को, जो किसी गाड़ी, जलयान या अन्य वाहन में मण्डी–क्षेत्र के भीतर लाई गई है या मण्डी–क्षेत्र से बाहर ले जाई गई है या जिसका मण्डी–क्षेत्र से बाहर ले जाया जाना प्रस्तावित है, अभिग्रहित करने की शक्ति होगी, यदि ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसी उपज के संबंध में इस अधिनियम के अधीन शोध्य

[1] संशोधन अधिनियम क्र, 28/2001 द्वारा प्रतिस्थापित। म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 27.10.2001 में प्रकाशित।

[2] संशोधन अधिनियम क्र, 24/1986 द्वारा प्रतिस्थापित।

[3] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 के अनुसार धारा 23(1)(दो) संशोधित।

किसी फीस या अन्य रकम का या विक्रेता को संदेय मूल्य का भुगतान नहीं किया गया है।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन सशक्त किये गये किसी व्यक्ति के पास यह संदेह करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति धारा 19 के अधीन उससे शोध्य किसी मण्डी- फीस के भुगतान से बचने का प्रयत्न कर रहा है या यह कि किसी व्यक्ति ने किसी अधिसूचित कृषि-उपज का क्रय या भण्डारण इस अधिनियम के या नियमों के या मण्डी-क्षेत्र में प्रवत्त उपविधियों के उपबंधों में से किसी उपबंध के उल्लंघन में किया है, तो वह किसी भी ऐसे कारबार के स्थान, भण्डागार, कार्यालय, स्थापन या गोदाम में, जिसके बारे में उस व्यक्ति के पास, जिसे कि उपधारा (1) के अधीन सशक्त किया गया है, यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा व्यक्ति वहाँ अधिसूचित कृषि-उपज का स्टॉक रखता है या ऐसे व्यक्ति ने अधिसूचित कृषि-उपज का स्टॉक तत्समय रख रखा है, प्रवेश कर सकेगा या उसकी तलाशी ले सकेगा। ''{और भण्डार में रखी कृषि-उपज को अभिग्रहित कर सकेगा और इस प्रकार अभिग्रहित की गई कृषि-उपज मण्डी समिति के पक्ष में ऐसी रीति में जैसी कि इस प्रयोजन के लिये विहित की जाये, अधिहृत की जा सकेगी।''}

[1]{ ''परन्तु कृषि-उपज का अधिहरण (confiscation) करने के पूर्व संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर (reasonable opportunity) दिया जायेगा।''}

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) की धारा 100, 457, 458 और 459 के उपबन्ध उपधारा (1), (2) और (3) के अधीन के प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे पुलिस अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और संपत्ति के अभिग्रहण के संबंध में लागू होते हैं। ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को तत्काल की जायेगी।

धारा 24.

उधार लेने की शक्ति -

[2](कोई मण्डी समिति, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित धन प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी से या किसी अन्य लोक वित्तीय संस्था से उधार ले सकेगी और धारा 38 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस प्रकार उधार लिए गए धन को लागू नही होगी।)

[1] संशोधन अधिनियम क, 28/2001 द्वारा प्रतिस्थापित। म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 27.10.2001 में प्रकाशित।

[2] संशोधन अधिनियम क0 24/1986 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 25.

संविदाएँ करने की रीति –

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, स्थावर सम्पत्ति में के हित के क्रय, विक्रय, पट्टे, बन्धक या अन्य अन्तरण के लिये या स्थावर सम्पत्ति में के हित के अर्जन के लिये मण्डी समिति की ओर से कोई भी संविदा या करार मण्डी समिति की मंजूरी से ही निष्पादित किया जायगा अन्यथा नहीं।

(2) उपधारा (1) में यथा उपबन्धित के सिवाय –

(क) मण्डी समिति का सचिव ऐसे मामलों के संबंध में, जिनके कि बारे में वह संविदा या करार करने के लिये मण्डी समिति के संकल्प द्वारा साधारणत: या विशेषत: प्राधिकृत किया गया हो, मण्डी समिति की ओर से संविदा या करार निष्पादित कर सकेगा जहॉ कि ऐसी संविदा या करार की रकम या मूल्य एक हजार रूपये से अधिक न हो ;

(ख) मण्डी समिति का अध्यक्ष तथा सचिव मण्डी समिति की ओर से संविदा या करार संयुक्त रूप से निष्पादित कर सकेंगे जहॉ कि ऐसी संविदा या करार की रकम या मूल्य पॉच हजार रूपये से अधिक न हो ;

(ग) खंड (क) तथा (ख) में निर्दिष्ट किये गये मामलों से भिन्न किसी मामलें में, मण्डी समिति की ओर से कोई संविदा या करार मण्डी समिति के अध्यक्ष, सचिव तथा उसके एक अन्य सदस्य, जो कि संविदा या करार करने के लिये मण्डी समिति के संकल्प द्वारा साधारणत: या विशेषत: प्राधिकृत किया गया हो, द्वारा निष्पादित किया जायगा।

(3) मण्डी समिति द्वारा की गयी प्रत्येक संविदा लिखित में होगी तथा वह मण्डी समिति की ओर से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित की जायेगी जो कि उपधारा (2) के अधीन ऐसा करने के लिये प्राधिकृत किये गये हों।

(4) उपधारा (1), (2) या (3) में उपबन्धित किये गये अनुसार निष्पादित की गयी संविदा से भिन्न कोई भी संविदा वैध या मण्डी समिति पर आबद्धकर नही होगी।

(5) (क) भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्रमांक 16 सन् 1908) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किसी मण्डी समिति के अध्यक्षों या किसी सदस्य या अधिकारी या सचिव के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह अपनी पदीय हैसियत में अपने द्वारा निष्पादित की गयी किसी लिखित के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित किसी कार्यवाही में किसी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में स्वयं या अभिकर्ता द्वारा उप-संजात हो या उस अधिनियम की धारा 58 में उपबन्धित किये गये अनुसार हस्ताक्षर करे।

(ख) जहॉ कोई लिखत इस प्रकार निष्पादित की गयी हो वहॉ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जिसे कि ऐसी लिखत रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तुत की गयी हो, यदि वह उचित समझे, ऐसे अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या सचिव को यह निर्दिष्ट करेगा कि वह उस लिखत के बारे में जानकारी दे और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसके (लिखत के) निष्पादन के बारे में अपना समाधान हो जाने पर लिखत को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

(6) जहॉ कोई संविदा या करार किसी मण्डी समिति की ओर से किया गया हो, वहॉ मण्डी समिति का सचिव उस तथ्य की रिपोर्ट मण्डी समिति को उसके उस सम्मिलन में देगा जो ऐसी संविदा या करार के किये जाने की तारीख से अव्यवहित पश्चात् बुलाया गया हो तथा किया गया हो।

धारा 25–क.

बजट तैयार किया जाना तथा मंजूर किया जाना –

[1]{ (1) प्रबंध संचालक, मण्डी समितियों को ऐसे मानकों पर जैसे कि विहित किये जाएं, या तो क, ख, ग या घ प्रवर्ग में वर्गीकृत करेगा। समस्त मण्डी समितियां आगामी वर्ष के लिये आय तथा व्यय का अपना बजट, बोर्ड द्वारा विहित मार्गदर्शक सिद्वांतों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल के पूर्व तैयार करेगी एवं उसे पारित करेगी:

परन्तु क तथा ख प्रवर्ग के रुप में वर्गीकृत मण्डी समितियों का बजट प्रबंध संचालक द्वारा पारित किया जायेगा।''}

(2) यदि मंजूर किये गये बजट में किसी मद पर व्यय करने के लिए कोई प्रावधान न हो तो जब तक कि किसी अन्य शीर्ष की बचत में से पुनर्विनियोग द्वारा उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती हो, उस मद पर किसी मण्डी समिति द्वारा कोई भी व्यय उपगत नहीं किया जाएगा।

(3) मण्डी समिति उस वर्ष के दौरान, जिसके कि लिए कोई बजट मंजूर किया जा चुका हो, किसी भी समय, पुनरीक्षित या पूरक बजट उसी रीति में पारित करवा सकेगी तथा मंजूर करवा सकेगी मानो कि वह मूल बजट हो।

[2]{ (4) मण्डी समिति उपधारा (6) में निर्दिष्ट स्थायी निधि से भिन्न अपनी निधि में से सन्निर्माण संकर्मो की मंजूरी दे सकेगी और ऐसे कार्य का निष्पादन मण्डी समिति द्वारा अनुमोदित नक्शे तथा डिजाईन के आधार पर ऐसी रीति में करा सकेगी, जैसी बोर्ड द्वारा विहित की जाए ;

(5) सन्निर्माण संकर्मा के निष्पादन के लिये बोर्ड या राज्य सरकार के किसी ऐसे विभाग को या उपक्रम को, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत किया जाये, सौंपा जा सकेगा ;''}

[3]{ (6) मण्डी समिति अपनी सकल प्राप्तियों के, जिनमें अनुज्ञप्ति फीस और मण्डी फीस समाविष्ट है, बीस प्रतिशत की दर से रकम स्थायी निधि में जमा करने हेतु प्रावधान अपने बजट में करेगी। स्थायी निधि में से कोई भी व्यय, प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन से या उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही उपगत किया जायगा अन्यथा नहीं। इस निधि में से या धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन यथा उपबन्धित अधिशेष रकम में से कोई भी व्यय धारा 38 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट बजट में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा।}

अध्याय–5
राज्य मण्डी बोर्ड सेवा

[4]{ धारा 26.

राज्य मण्डी बोर्ड सेवा का गठन –

(1) बोर्ड तथा मण्डी समितियों के लिए अधिकारियों तथा कर्मचारियों का प्रबन्ध करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसे राज्य मण्डी बोर्ड सेवा कहा जायेगा ;

(2) बोर्ड, राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्यों की भर्ती, अर्हता, नियुक्ति, पदोन्नति, वेतनमान, छुट्टी, छुट्टी वेतन, कार्यकारी भत्ता, उधार, पेंशन, उपदान (गेच्युटी), वार्षिकी (एन्युटी), अनुकम्पा निधि, भविष्य निधि, पदच्युति, हटाये जाने, आचरण, विभागीय जांच, दण्ड, अपील तथा अन्य सेवा शर्तो के संबंध में विनियम बनाएगा ;

(3) राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्यों को, जो मण्डी समिति के नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे हैं, दिये जाने के लिए अपेक्षित वेतन, भत्ते, उपदान तथा अन्य संदाय मण्डी समिति निधि पर भार होंगे ;

(4) किन्हीं भी नियमों या विनियमों के अधीन नियुक्त किये गये या आमेलित किये गये ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी, जो उपधारा (1) के अधीन राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के गठन के अव्यवहित पूर्व राज्य विपणन सेवा, बोर्ड सेवा के सदस्य थे और मण्डी समिति सेवा के नाके दार (सहायक उपनिरीक्षक) राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्य समझे जायेंगे।}

[1] संशो0 अधि0 क्र0 28/2001 राजपत्र असा0 दि0 27.10.2001 द्वारा प्रकाशित।

[2] संशो0 अधि0 क्र0 11/1998 राजपत्र असा0 दि. 9.6.98, पृ. 556(1–2) द्वारा धारा 5(क) की उपधारा 4–5 प्रतिस्थापित की गई।

[3] संशोधन अधिनियम क्र. 24/1986 द्वारा 25 क की उपधारा 6 अंत:स्थापित।

[4] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा संशोधित।

धारा 27.

सचिव और अन्य अधिकारी –

[1]{ (1) प्रत्येक मण्डी समिति में एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी होंगे [2]{ जो राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के सदस्य होंगे या जो राज्य सरकार या शासकीय सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सेवाओं के ऐसे सदस्य हों, जिनकी सेवाएं बोर्ड द्वारा प्रतिनियुक्ति पर अभिप्राप्त की गई हो;}

परन्तु एक से अधिक मण्डी समितियों के लिए किसी एक अधिकारी की नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) सचिव, मण्डी समिति का प्रधान कार्यपालन अधिकारी होगा और उस मण्डी समिति में पदस्थ समस्त अधिकारी तथा कर्मचारी उसके अधीनस्थ होंगे ;

(3) सचिव, मण्डी समिति के प्रति जवाबदार होगा और मण्डी समिति के नियंत्रण के अधीन होगा।}

धारा 28.

मूल अधिनियम की धारा 28 का लोप किया।

[3]{ धारा 29.}

मूल अधिनियम की धारा 29 का लोप किया।

धारा 30.

कर्मचारीवृन्द की नियुक्ति –

(1) प्रत्येक मण्डी समिति ऐसे अन्य अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी जो कि उसके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक तथा उचित हो ;

परन्तु किसी भी पद का सृजन प्रबंध संचालक की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जायेगा।

(2) मण्डी समिति उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति वेतन छुटटी, छुटटी भत्ते, पेंशन, उपदान, भविष्य निधि में अभिदाय तथा अन्य सेवा शर्तो को विनियमित करने के लिए तथा उनको शक्तियॉ, कर्तव्य तथा कृत्य प्रत्यायोजित करने के लिए उपलब्ध करने के हेतु उपविधियां बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रबंध संचालक, उपधारा (4) में विर्निदिष्ट शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, किसी मण्डी समिति के किसी भी ऐसे अधिकारी या सेवक को, जिसका अधिकतम वेतनमान छह सौ रूपये से अधिक हो, उस राजस्व संभाग की किसी अन्य

[1] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा संशोधित।

[2] संशोधन अधिनियम क्र, 31/2000 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 5.10.2000 पृ. 1286 द्वारा संशोधित।

[3] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा लुप्त।

मण्डी समिति में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित कर सकेगा और प्रबंध संचालक के लिए यह आवश्यक नही होगा कि वह इस उपधारा के अधीन प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण का आदेश पारित करने के पूर्व, संबंधित मण्डी समिति से या अधिकारी या सेवक से परामर्श करे।

(4) उपधारा (3) के अधीन स्थानान्तरित किया गया संबंधित अधिकारी या सेवक–

(क) मूल मण्डी समिति में धारित पद पर अपना धारणाधिकार रखेगा;

(ख) ऐसे वेतन या भत्तों के संबंध में, जिनके कि लिए वह मूल मण्डी समिति में बने रहने की दशा में हकदार होगा, अलाभकारी स्थिति में नहीं रखा जाएगा ;

(ग) ऐसी दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने का हकदार होगा जैसा कि प्रबंध संचालक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, विर्निदिष्ट करे ; और

(घ) ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तो द्वारा, जिनके अंतर्गत अनुशासनिक नियंत्रण भी है, शासित होगा जैसी कि प्रबंध संचालक, साधारण या विशेष आदेश द्वारा विर्निदिष्ट करे।

अध्याय 6
व्यापार का विनियमन
(REGULATION OF TRADING)

धारा 31.
मण्डी क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों का विनियमन –

कोई भी व्यक्ति, किसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में मण्डी क्षेत्र में, आढ़तिया, व्यापारी, दलाल, तुलैया, हम्माल, सर्वेक्षण, भान्डागारिक प्रसंस्करण के या दबाने (प्रेसिंग) के कारखाने के स्वामी या अधिभोगी या ऐसे अन्य मण्डी कृत्यकारी के रूप में कार्य इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार ही करेगा अन्यथा नही।

धारा 32.
अनुज्ञप्तियॉ मंजूर करने की शक्ति –

(1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति, जो मण्डी क्षेत्र में कार्य करना चाहता हो, अनुज्ञप्ति को मंजूरी या उसके नवीकरण के लिये मण्डी समिति को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जैसी कि उपविधियों द्वारा विहित की जाय, आवेदन करेगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ ऐसी फीस संलग्न की जायेगी जैसी कि प्रबंध संचालक, विहित की गयी सीमाओं के अध्यधीन रहेते हुए, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

(3) मण्डी समिति अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगी या उसका नवीकरण कर सकेगी या लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, अनुज्ञप्ति का मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इन्कार कर सकेगी ;

परन्तु यदि मण्डी समिति, अनुज्ञपित की मंजूरी या उसके नवीकरण के आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से छः सप्ताह के भीतर अनुज्ञप्ति मंजूर करने में या अनुज्ञप्ति का नवीकरण करने में चूक करती है तो यह समझा जायेगा कि अनुज्ञप्ति यथास्थिति मंजूर कर दी गई है या उसका नवीकरण कर दिया गया है।

[1]{ परन्तु यह और भी कि यदि किसी आवेदक के विरूद्ध मण्डी समिति के शोध्य, जिनके अंतर्गत मध्यप्रदेश निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता अधिनियम, 1970 के अधीन शोध्य भी आते हैं, बकाया हैं तो अनुज्ञप्ति नवीकृत नहीं की जाएगी;}

[1]{परन्तु यह भी कि कोई भी अनुज्ञप्ति किसी अवयस्क को मंजूर नहीं की जाएगी।}

(4) इस धारा के अधीन मंजूर की गयी या नवीकृत की गयी समस्त अनुज्ञप्तियॉ इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों तथा उपविधियों के उपबन्धों के अध्यधीन होगी।

(5) कोई आढ़तिया या दलाल या दोनों, कृषक-विक्रेता या व्यापारी-क्रेता के बीच के किसी संव्यवहार में, कृषक-विक्रेता की ओर से न तो कोई कार्य करेगा और न ही वह कमीशन या दलाली के मद्दे कोई रकम, कृषक-विक्रेता को देय विक्रय आगम में से काटेगा।

धारा 32-क
एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों के लिये अनुज्ञप्ति-

[2]{''32-क.(1) धारा 31 में विनिर्दिष्ट किया गया प्रत्येक व्यक्ति जो एक से अधिक मण्डी क्षेत्रों में कार्य करना चाहता हो, अनुज्ञप्ति की मंजूरी या उसके नवीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे प्राधिकारी/अधिकारी को ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर और ऐसी शर्तो पर, जैसी की नियमों में विहित की जाएं, आवेदन करेगा.

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा या उसका नवीकरण कर सकेगा या लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति को मंजूर करने या उसका नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा.

[1] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 पृ. 568(14-26) के अधीन अंत:स्थापित।

[2] संशोधन अधिनियम क्र, 15/2003 म.प्र. राजपत्र असाधारण पृ0 474(1) दि. 28.4.2003 में अन्त:स्थापित।

(3) इस धारा के अधीन मंजूर की गई या नवीकृत की गई समस्त अनुज्ञप्तियां इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और उपविधियों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए होंगी.''.}

धारा 33.

अनुज्ञप्तियॉ रद्द करने या निलम्बित करने की शक्ति –

(1) उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये मण्डी समिति, लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी अनुज्ञप्ति को निलम्बित या रद्द कर सकेंगी –

(क) यदि अनुज्ञप्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन या कपट द्वारा प्राप्त की गई हो; या

(ख) यदि अनुज्ञप्ति का धारक या कोई सेवक या उसकी (अनुज्ञप्तिधारक की) अभिव्यक्त या विवक्षित अनुज्ञा से उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति के निबन्धनों या शर्तो में से किसी भी निबन्धन या शर्त को भंग करता है ; या

(ग) यदि अनुज्ञप्ति का धारक अन्य अनुज्ञप्तिधारकों के साथ मिलकर अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मण्डी प्रांगण/प्रांगणों में जानबूझकर बाधित करने, निलम्बित करने या रोकने के आशय से मण्डी क्षेत्र में कोई कार्य करे या अपना प्रसामान्य कारबार चलाने से प्रविरत रहे और जिसके परिणामस्वरूप किसी उपज का विपणन बाधित हो गया हो, निलम्बित हो गया हो ;

(घ) यदि अनुज्ञप्ति का धारक दिवालिया हो गया हो ;

(ड़) यदि अनुज्ञप्ति का धारक कोई ऐसी निरर्हता, जैसी कि विहित की जाये, उपगत कर ले ; या

(च) यदि अनुज्ञप्ति का धारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाये।

(2) उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यक्ष, किसी अनुज्ञप्ति को, किसी ऐसे कारण से, जिस कारण से, कि कोई मण्डी समिति किसी अनुज्ञप्ति को उपधारा (1) के अधीन निलम्बित कर सकती हो, एक मास से अनधिक कालावधि के लिये, लिखत में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, निलम्बित कर सकेगा ;

परन्तु ऐसा आदेश उसके किये जाने की तारीख से [1]{''दस दिन} की कालावधि का अवसान होने पर प्रभावी नही रहेगा। यदि ऐसे अवसान के पूर्व उस आदेश की पुष्टि मण्डी समिति द्वारा नहीं कर दी गई हो।

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, किन्तु उपधारा (4) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, प्रबंध संचालक लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, किसी भी अनुज्ञप्ति को, जो कि मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गई हो या नवीकृत की गई हो, आदेश द्वारा निलम्बित या रद्द कर सकेगा;

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश, मण्डी समिति को सूचना दिये बिना, नहीं किया जायेगा।

(4) इस धारा के अधीन कोई अनुज्ञप्ति तब तक निलम्बित या रद्द नहीं की जायगी, जब तक कि उसके धारक को ऐसे निलम्बित या रद्दकरण के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

धारा 34.

अपील –

(1) अध्यक्ष, मण्डी समिति या प्रबंध संचालक के किसी आदेश द्वारा, जो कि यथास्थिति धारा 32 या धारा 33 के अधीन पारित किया गया हो, व्यथित कोई भी व्यक्ति–

(क) जहां ऐसा आदेश अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया हो, वहां मण्डी समिति को ;

(ख) जहां ऐसा आदेश मण्डी समिति द्वारा पारित किया गया हो, वहॉ प्रबंध संचालक को ; और

(ग) जहॉ ऐसा आदेश प्रबंध संचालक द्वारा पारित किया गया हो, वहां राज्य सरकार को ;

अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, –

(एक) जहॉ ऐसी अपील अध्यक्ष के आदेश के विरूद्ध हो, आदेश की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर ; और

(दो) जहां ऐसी अपील मण्डी समिति या प्रबंध संचालक के आदेश के विरूद्ध हो, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर; ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाये, की जायेगी।

(3) अपीली प्राधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, उस आदेश को, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, ऐसी कालावधि के लिए जैसी कि वह उचित समझे, रोक सकेगा।

(4) अध्यक्ष, मण्डी समिति तथा प्रबंध संचालक द्वारा पारित किया गया आदेश उस धारा के अधीन अपील में दिये गये आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अंतिम होगा तथा किसी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नही किया जायगा।

धारा 35.

इस अधिनियम के अधीन विहित की गयी व्यापारिक छूटों से भिन्न व्यापारिक छूटों का प्रतिषेध –

(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विहित की गयी छूट से भिन्न कोई भी व्यापारिक छूट अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में किसी भी संव्यहार में किसी भी मण्डी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो दी जायगी अथवा न वसूल की जायगी और कोई भी सिविल न्यायालय किसी ऐसे संव्यवहार से उद्‌भूत होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में, किसी ऐसी व्यापारिक छूट पर, जो कि इस प्रकार विहित न की गयी हो, ध्यान नहीं देगा।

(2) किसी पात्र के वजन का उसी प्रकार के पात्र से धड़ा किया जायेगा तथा पात्र के वजन का धड़ा करने के लिये किसी भी रूप में कोई भी कटौती नहीं करने दी जायगी।

धारा 36.

अधिसूचित कृषि–उपज का मण्डियों में विक्रय –

(1) मूल मण्डी में विक्रय के लिये लायी गयी समस्त अधिसूचित कृषि–उपज, उपधारा(2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी उपज के लिये विनिर्दिष्ट किये गये मण्डी प्रांगण/प्रांगणों में या उप–विधियों में यथाउपबंधित ऐसे अन्य स्थान पर बेची जायेगी।[1]

[2]{''परन्तु संविदा खेती के अधीन उत्पादित की गई कृषि–उपज को मण्डी प्रांगण में लाना आवश्यक नही होगा तथा उसे किसी भी अन्य स्थान पर किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रीत किया जाएगा जो करार के अधीन उसे क्रय करने के लिए सहमत है.''.}

(2) ऐसी अधिसूचित कृषि उपज, जो वाणिज्यिक संव्यवहार के अनुक्रम में अनुज्ञापित व्यापारियों द्वारा मण्डी क्षेत्र के बाहर से क्रय की जाय, मण्डी क्षेत्र में कहीं भी उपविधियों के उपबन्धों के अनुसार लायी तथा बेची जा सकेगी।

(3) मण्डी प्रांगण मे विक्रय के लिये लायी गयी अधिसूचित कृषि उपज की कीमत निविदा बोली या खुले नीलाम पद्धति द्वारा तय की जायगी तथा तय हुए मूल्य में किसी भी कारण से कोई कटौती नही की जायगी ;

[1] अधि0 क्र0 9/2002 म0प्र0राजपत्र असा0 दि0 3.5.2002 के पृष्ठ 422 द्वारा संशोधित एवं अधिसूचना द्वारा दिनांक 20.06.2002 में प्रवृत हुआ।

[2] संशोधन अधिनियम क्र, 15/2003 म.प्र. राजपत्र असाधारण पृ0 474(1) दि. 28.4.2003 में अन्त:स्थापित।

[2] संशोधन अधिनियम क्र, 31/2000 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 5.10.2000 पृ. 1286 द्वारा संशोधित।

परन्तु मण्डी-प्रांगण में ऐसी कृषि-उपज की, जिसके लिये कि राज्य सरकार द्वारा समर्थन कीमत घोषित की गई है, कीमत उस कीमत से कम निर्धारित नहीं की जायेगी, जो इस प्रकार घोषित की गई है और मण्डी प्रांगण में कोई भी बोली इस प्रकार नियत की गई कीमत से कम पर प्रारम्भ नहीं होने दी जायेगी।

(4) [2]{इस प्रकार क्रय की गई समस्त अधिसूचित कृषि-उपज की तौल या माप ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी प्रक्रिया द्वारा की जाएगी जैसी कि उपविधियों में उपबंधित की जाए} या मण्डी समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट किये गये किसी अन्य स्थान पर की जायेगी :

परन्तु केला, पपीता या किसी ऐसी अन्य विनश्वर कृषि-उपज की, जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति तौल, माप या गणना किसी अनुज्ञप्त तुलैया द्वारा ऐसे स्थान पर की जायेगी जहॉ ऐसी उपज उगाई गई हो।

धारा 37.

क्रय तथा विक्रय की शर्तें -

(1) कोई भी व्यक्ति, जो अधिसूचित कृषि उपज का मण्डी क्षेत्र में क्रय करेगा, विक्रेता के पक्ष में तीन प्रतियों में करार ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विहित किया जाय, निष्पादित करेगा। करार की एक प्रति क्रेता के द्वारा रखी जाएगी, एक प्रति विक्रेता को दी जायेगी तथा शेष प्रति मण्डी समिति के अभिलेख में रखी जायेगी।

(2) (क) मण्डी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मण्डी प्रांगण में किया जायगा ;

(ख) यदि क्रेता खण्ड (क) के अधीन भुगतान नहीं करता है तो वह विक्रेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान पांच दिन के भीतर करने का दायी होगा ;

(ग) यदि क्रेता उपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन विक्रेता को भुगतान के साथ अतिरिक्त भुगतान ऐसे क्रय के दिन से पांच दिन के भीतर नहीं करता है तो उसकी अनुज्ञप्ति छठवें दिन को रद्द कर दी गई समझी जायगी और उसे या उसके नातेदार को ऐसे रद्दकरण की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति मंजूर नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण -

इस खण्ड के प्रयोजन की लिए ''नातेदार'' से अभिप्रेत है ऐसा नातेदार जैसा कि धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट है।

(3) अधिसूचित कृषि उपज के उत्पादकों के साथ अनुज्ञापित व्यापारियों द्वारा ऐसी उपज का कोई भी थोक संव्यवहार [1]{मण्डी प्रांगण या उप-विधियों में यथाउपबंधित ऐसे अन्य स्थान में के सिवाय} सीधे नहीं किया जायेगा।

(4) आढ़तिया केवल अपने नियोक्ता व्यापारी से ही ऐसी दरों से, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाय, अपना कमीशन वसूल कर सकेगा, जिस कमीशन के अंतर्गत ऐसे व्यय आते हैं जो उपज के भण्डारकरण के संबंध में तथा उसके द्वारा की गयी अन्य सेवाओं के संबंध में उसके द्वारा उपगत किये जायें।

(5) प्रत्येक आढ़तिया इस बात के लिये दायी होगा कि वह-

(क) अपने को देय कमीशन से भिन्न किसी प्रभार के बिना अपने नियोक्ता का माल सुरक्षित अभिरक्षा में रखें ; और

(ख) ज्योंही माल बिक जाय, उसकी कीमत का भुगतान अपने नियोक्ता को कर दे चाहे उसने ऐसी माल के क्रेता से कीमत प्राप्त की हो या न प्राप्त की हो।

धारा 37-क

संविदा खेती के अधीन अधिसूचित कृषि- उपज के विपणन का विनियमन-

[2]{''37-क. (1) संविदा खेती, संविदा खेती के कृषि-उपज के उत्पादक और क्रेता के बीच किसी लिखित करार के अधीन ऐसी रीति में और ऐसी प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी जैसी कि उप-विधियों में विहित की जाए। संविदा खेती के लिए निष्पादित किया जाने वाला करार ऐसे प्ररूप में होगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां, निबंधन तथा शर्तें अंतर्विष्ट होंगी जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित की जाएं.

स्पष्टीकरण :- (1) इस धारा के प्रयोजन के लिए ''उत्पादक और क्रेता'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो संविदा खेती के किसी लिखित करार के अधीन कृषि उपज क्रमशः उत्पादित और क्रय करता है.

(2) क्रेता, संविदा खेती के लिखित करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए मण्डी समिति को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा। मण्डी समिति, उसे ऐसी रीति में तथा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तो पर जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित की जाए, रजिस्टर करेगी.

(3) यदि करार के उपबंधों के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद उद्‌भूत होता है तो कोई भी पक्षकार विवादों पर मध्यस्थता करने के लिए मण्डी समिति के अध्यक्ष को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। मण्डी समिति का अध्यक्ष पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् विवाद का हल करेगा.

[1] अधि0 क्र0 9/2002 म0प्र0राजपत्र असा0 दि0 3.5.2002 के पृष्ठ 422 द्वारा संशोधित एवं अधिसूचना द्वारा दिनांक 20.06.2002 में प्रवृत हुआ।

[2] संशोधन अधिनियम क्र, 15/2003 म.प्र. राजपत्र असाधारण पृ0 474(2) दि. 28.4.2003 द्वारा अन्तःस्थापित।

(4) उपधारा (3) के अधीन मण्डी समिति के अध्यक्ष के विनिश्चय से व्यथित पक्षकार विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रबंध संचालक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को अपील कर सकेगा। प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् अपील का निराकरण करेगा तथा प्रबंध संचालक या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.

(5) संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि-उपज मण्डी प्रांगण के बाहर, क्रेता को विक्रीत की जाएगी जैसा कि उप-विधियों द्वारा विहित किया जाए। कृषि-उपज के क्रेता द्वारा मण्डी फीस धारा 19 के अधीन विहित की गई दरों पर ऐसी रीति में देय होगी जैसी कि उप-विधियों द्वारा विहित की जाए.''.}

अध्याय 7
मण्डी समिति निधि
(MARKET COMMITTEE FUND)

धारा 38.

मण्डी समिति निधि -

(1) मण्डी समिति द्वारा प्राप्त हुए समस्त धन एक निधि में जो ''मण्डी समिति निधि'' कहलायेगी, संदत्त किये जायेंगे और मण्डी समिति द्वारा इस अधिनियम के अधीन या उसके प्रयोजनों के लिये उपगत किये गये समस्त व्यय उक्त निधि में से चुकाये जायेंगे। ऐसे व्यय की पूर्ति किये जाने के पश्चात् मण्डी समिति के पास बचा हुआ कोई अधिशेष ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाये, विनिहित किया जायेगा;

परन्तु समस्त ऐसी धनराशियॉ, जो प्रतिभूति निक्षेप, भविष्य निधि के प्रति किये गये अभिदायों के रूप में या किसी अधिसूचित कृषि उपज के संबंध में भुगतान के लिये या तुलैया, हम्माल तथा अन्य कृत्यकारियों को देय प्रभारों के लिये मण्डी समिति द्वारा प्राप्त की गयी हो, मण्डी समिति निधि का भाग नहीं होंगी किन्तु उनका लेखांकन अलग से किया जायेगा।

(2) मण्डी समिति निधि के समस्त धन तथा उपधारा (1) के विनिर्दिष्ट की गयी अन्य राशियॉ किसी सहकारी बैंक में या यदि मण्डी समिति के मुख्यालय पर ऐसा बैंक विद्यमान न हो तो डाकघर बचत बैंक में या किसी ऐसे बैंक में, जो बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन्, 1970) की प्रथम अनुसूची में तत्समय नवीन बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, निक्षिप्त की जायेगी।

धारा 39.

मण्डी समिति निधि का उपयोजन –

धारा 38 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, मण्डी समिति निधि केवल निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये व्यय की जा सकेगी, अर्थात् –

(एक) मण्डी प्रांगणों के लिये स्थान या स्थानों का अर्जन ;

(दो) मण्डी प्रांगणों का अनुरक्षण एवं सुधार ;

(तीन) मण्डी के प्रयोजनों के लिये तथा मण्डी प्रांगणों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की सुविधा या सुरक्षा के लिये आवश्यक भवनों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत ;

(चार) मानक बांटों तथा मापों को बनाये रखना ;

(पांच) स्थापना संबंधी प्रभारों की पूर्ति जिनके अंतर्गत उन अधिकारियों तथा सेवकों के, जो कि मण्डी समिति द्वारा नियोजित किये गये हों, भविष्य निधि, पेन्शन तथा उपादान लेखे किये जाने वाले भुगतान तथा अभिदाय भी आते हैं;

(छः) उन उधारों पर जो मण्डी के प्रयोजन के हेतु लिये जायें, ब्याज का भुगतान तथा ऐसे उधारों के संबंध में निक्षेप-निधि की व्यवस्था ;

(सात) फसल सबंधी आंकड़ों तथा कृषि उपज के विपणन की जानकारी का संग्रहीत किया जाना तथा प्रसारित किया जाना ;

(आठ) (क) मण्डी समिति के लेखाओं की संपरीक्षा करने में उपगत किये गये व्यय,

(ख) अध्यक्ष को मानदेय, मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का यात्रा भत्ता एवं सम्मिलन में हाजिर होने के लिये सदस्य को देय बैठक फीस का भुगतान ;

(ग) राज्य विपणन विकास निधि के प्रति अभिदाय

(घ) राज्य सरकार के आदेश को कार्यान्वित करने के लिये तथा किसी अन्य अधिनियम के अधीन मण्डी समिति को न्यस्त किये गये किसी अन्य कार्य के लिये किसी व्यय की पूर्ति ;

(ड़) कृषि उत्पादन की वृद्धि तथा वैज्ञानिक भण्डारकरण के लिये किसी स्कीम के प्रति अभिदाय ;

[1] संशोधन अधिनियम क्र, 27/1997 म.प्र. राजपत्र असाधारण दि. 30.5.97 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1]{(च) विहित रीति में मण्डी क्षेत्र के विकास के लिए ;

''(छ) प्रबंध संचालक की पूर्व अनुमति से उत्पादन की वृद्धि के लिए लोगों को शिक्षित करने या उसके प्रोन्नयन के लिए तथा कृषि आधानों (एग्रीकल्चरल इनपुट्स) के विकय का कार्य हाथ में लेना;

(छछ) कृषि उपज के विपणन के लिए हाट बाजारों के विकास का कार्य हाथ में लेना''}

(ज) इस अधिनियम के अधीन निर्वाचनों पर व्ययों का भुगतान ;

(नौ) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, कोई अन्य प्रयोजन, जिस पर मण्डी समिति निधि में से किया जाने वाला व्यय लोक हित में हो।

अध्याय 8

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

(MADHYA PRADESH STATE AGRICULTURAL MARKETING BOARD)

धारा 40.

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड –

(1) ऐसी तारीख से, जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में नियत करे, मध्यप्रदेश राज्य के लिये एक बोर्ड स्थापित किया जायेगा जो मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड कहलायेगा।

(2) बोर्ड एक निगमित निकाय होगा, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगा तथा उक्त नाम से उसके विरूद्ध वाद चलाया जा सकेगा और वह किसी भी सम्पत्ति को अर्जित करने तथा धारण करने, पट्टे पर देने, बेचने या अन्यथा अन्तरित करने के लिये तथा संविदा करने के लिये और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये आवश्यक समस्त अन्य बातें करने के लिये सक्षम होगा।

[1]धारा 40–क

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति –

''(1) राज्य सरकार, बोर्ड तथा मण्डी समितियों को निदेश दे सकेगी।

[1] संशो0अधि0 क0 27/1997 राजपत्र असा0 दि0 30 मई 1997 द्वारा (धारा 40 क) का अन्त:स्थापना की गई।

(2) बोर्ड तथा मण्डी समितियॉ, राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होंगी;''

धारा 41.

बोर्ड का गठन –

(1) राज्य सरकार बोर्ड का गठन करेगी जिसमें अध्यक्ष तथा निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

क–पदेन सदस्य

(क) मंत्री, जो कृषि विभाग, मध्यप्रदेश, का भारसाधक हो ;

(ख) सचिव/विशेष सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग ;

(ग) रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियॉ, मध्यप्रदेश ;

(घ) कृषि संचालक, मध्यप्रदेश ;

(ड़) धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक ;

ख– राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य

(च) मध्यप्रदेश विधान सभा के दो सदस्य, जो विधान सभा अध्यक्ष के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किये गये हों ;

(छ) मण्डी समितियों के दस अध्यक्ष, जिनमें किसी भी एक राजस्व आयुक्त संभाग में से एक से अधिक नही होगा ;

(ज) राज्य के भीतर की किसी भी मण्डी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यापारियों के दो प्रतिनिधि ;

(झ) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ तथा मध्यप्रदेश राज्य वस्तु व्यापार निगम का अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक।

[1](ञ) कृषि उपज के विपणन के क्षेत्र में के दो विशेषज्ञ''

(2) मन्त्री, जो कृषि विभाग, मध्यप्रदेश का भारसाधक हो, बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा बोर्ड के उपाध्यक्ष का नामनिर्देशन उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गये पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों में से, राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

[2]''(3) यदि अध्यक्ष के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो राज्य सरकार उसके लिए अन्तरिम व्यवस्था करेगी.''.

[1] संशो0अधि0 क्र0 27/1997 राजपत्र असा0 दि0 30 मई 1997 के अनुसार धारा 41 संशोधित की गई।

[2] संशो0अधि0 क्र0 27/1997 राजपत्र असा0 दि0 30 मई 1997 के अनुसार धारा 41 संशोधित की गई।

धारा 42.

उपाध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि –

(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, बोर्ड का उपाध्यक्ष या पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा ;

परन्तु उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, उसकी अवधि का अवसान हो जाने पर भी, तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले।

(2) बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि जैसे ही वह उस पद पर न रह जाय जिसके कि आधार पर वह नामनिर्देशन किया गया हो, समाप्त हो जायगी।

(3) राज्य सरकार, यदि वह उचित समझे, बोर्ड के किसी भी सदस्य को उसकी पदावधि का अवसान होने के पूर्व हटा सकेगी किन्तु ऐसा करने के पूर्व वह हटाये जाने के विरूद्ध उसे कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर देगी।

धारा 42–क

उपाध्यक्ष या सदस्य द्वारा पद त्याग –

(1) उपाध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषि विभाग, को लिखित में सम्बोधित करके अपना पद त्याग सकेगा और उसका पद, ऐसे त्याग–पत्र की तारीख से पूरे पन्द्रह दिन का अवसान होने पर उस दशा में रिक्त हो जायगा, जबकि वह उक्त पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर अपना त्याग–पत्र लिखित में वापस न ले लें।

(2) बोर्ड के उपाध्यक्ष या किसी भी सदस्य की पदावधि का अवसान होने के पूर्व उसकी मृत्यु हो जाने या उसके पद त्याग कर देने या उसके निरर्हित हो जाने या उसको हटा दिये जाने की दशा में यह समझा जायगा कि ऐसे पद की आकस्मिक रिक्ति हुई है और ऐसी रिक्ति यथाशक्य शीघ्र राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशन करके भरी जायगी। इस प्रकार नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति ऐसे पद को अपने पूर्वाधिकारी की अनवासित अवधि तक के लिए धारण करेगा।

धारा 42–ख

बोर्ड के सदस्यों को भत्ते–

बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों को मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि से उसके (बोर्ड के) सम्मिलनों में हाजिर होने के लिये या किसी अन्य कार्य को करने के लिये ऐसी बैठक फीस तथा भत्तों का भुगतान किया जायेगा जो कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत किये जायें।

धारा 42–ग

बोर्ड के सदस्य की निरर्हता –

कोई भी ऐसा व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं होगा –

(क) जो न्याय निर्णीत दिवालिया है या किसी भी समय न्याय निर्णीत दिवालिया रहा है ; या

(ख) जो किसी ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाता है या ठहराया जा चुका है जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमत्ता अन्तवर्लित है ; या

(ग) जो विकृत चित का है तथा जिसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा होना घोषित किया गया है ; या

(घ) जो किसी ऐसी कम्पनी या फर्म का संचालक या सचिव, प्रबंधक या अन्य वैतनिक अधिकारी या कर्मचारी है जिसकी कि बोर्ड या किसी मण्डी समिति के साथ कोई संविदा है ; या

(ड़) जो धारा 58 के अधीन दोषी है, या किसी भी समय दोषी पाया गया है ; या

(च) जिसने सदस्य की हैसियत से अपने पद का राज्य सरकार की राय में इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि जिससे बोर्ड में उसका बना रहना जन–साधारण के हितों के लिए अपायकर हो जाता है।

[1]धारा 42–घ

प्रबंध संचालक तथा बोर्ड के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति –

(1) बोर्ड का एक प्रबंध संचालक होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया प्रबंध संचालक बोर्ड के पदेन सचिव के रूप में भी कृत्य करेगा ;

(3) बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा जो कि इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों तथा कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हो ;

(4) बोर्ड के समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर अधीक्षण और नियंत्रण प्रबंध संचालक में निहित होगा.''.

[1] संशो0 अधि0 क्र0 27/1997 राजपत्र असा0 दि0 30 मई 1997 के द्वारा संशोधित की गई।

[2] संशो0 अधि0 क्र0 21/2000 राजपत्र असा0 दि0 13 जुलाई, 2000 द्वारा धारा 43 संशोधित की गई।

धारा 42-ड़

उपसमितियों की नियुक्ति -

बोर्ड, अपने कर्तव्यों या कृत्यों में से किसी भी कर्तव्य या कृत्य के पालन के लिए या उससे अनुषंगिक किसी विषय पर सलाह देने के लिए उप-समितियॉ नियुक्त कर सकेगा जिनमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक को सम्मिलित करते हुये उसके तीन या तीन से अधिक सदस्य होंगे और इन उप-समितियों में से किसी भी उप-समिति को अपने कर्तव्यों या कृत्यों में से कोई भी कर्तव्य या कृत्य, जो कि आवश्यक समझा जाये प्रत्यायोजित कर सकेगा।

धारा 43.

राज्य विपणन विकास निधि -

[2]{(1) प्रत्येक मण्डी समिति, बोर्ड को अपनी सकल प्राप्तियों का, जिनमें अनुज्ञप्ति फीस तथा मण्डी फीस समाविष्ट है, ऐसा प्रतिशत, जो कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, समय समय पर घोषित करे, प्रत्येक मास की 10 तारीख तक भुगतान करेगी, इस प्रकार भुगतान की गई तथा संग्रहीत की गई रकम ''मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि'' कहलाएगी।

(2) वे समस्त व्यय, जो कि बोर्ड ने अपने द्वारा मंजूर किये गये बजट के अनुसार उपगत किये हों, उक्त निधि में से चुकाये जायेंगे।

(3) बोर्ड के वार्षिक लेखे तथा तुलन-पत्र [2](प्रबंध संचालक) द्वारा तैयार किये जायेंगे और बोर्ड को किसी भी स्त्रोत से प्रोद्भूत होने वाले या उसके द्वारा प्राप्त किये गये समस्त धन तथा संवितरित या संदत्त की गई समस्त रकमें लेखाओं में दर्ज की जायगी।

(4) बोर्ड के लेखाओं की संपरीक्षा संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा की जायेगी।

(5) [1](प्रबंध संचालक) संपरीक्षा के समय समस्त लेखाओं, रजिस्टरों, दस्तावेजों तथा ऐसे अन्य सुसंगत कागज-पत्रों को, जो कि संपरीक्षा अधिकारी द्वारा संपरीक्षा के प्रयोजनों के लिए मंगवाये जायें, पेश करवायेगा। किसी फर्क को दूर करने के लिए ऐसे अधिकारी द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण उसे तुरन्त दिया जायेगा।

(6) लेखे, जबकि उनकी संपरीक्षा कर ली जाय, मुद्रित किय जायेंगे, लेखाओं तथा संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियॉ, उन पर की गई टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष रखी जायेंगी। संपरीक्षा रिपोर्ट बोर्ड की टिप्पणियों के साथ राज्य सरकार को भेजी जायेंगी।

(7) मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि में प्राप्त हुये समस्त धन किसी सहकारी बैंक में या यदि बोर्ड के मुख्यालय पर ऐसा बैंक विद्यमान न हो तो डाकघर बचत बैंक में या किसी ऐसी बैंक में, जो बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण)

[1] म0प्र0 संशो0 अधि0 क्र0 27/1997, दिनांक 30 मई 1997 द्वारा संशोधित/प्रतिस्थापित/अंत:स्थापित की गई।

अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1970) की प्रथम अनुसूची में तत्स्थानी नवीन बैंक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो, निक्षिप्त किये जायेंगे।

धारा 44.

प्रयोजन, जिनके लिए मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि व्यय की जायेगी –

मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई जायेगी, अर्थात् :-

(एक) मण्डी सर्वेक्षण तथा गवेषणा, कृषि उपज का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण अन्य सम्बद्ध विषय :-

(दो) कृषि उपजों की क्रय तथा विक्रय की शर्तो के सामान्य सुधार संबंधी विषयों के बारे में प्रचार तथा प्रकाशन एवं विस्तार सेवाऐं ;

(तीन) [1](क) ऐसी न्यूनतम आधारित संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) ऐसी कि प्रथम बार स्थापित किए गए मण्डी प्रांगण या उपमण्डी प्रांगण में बोर्ड द्वारा विहित की जाए, का सन्निर्माण करना और स्थापना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए दो लाख रूपये तक का अनुदान देना''

(ख) राज्य [1]{....} की वित्तीय रूप से कमजोर मण्डी समितियों को उधारों और/या अनुदानों के रूप में सहायता देना ;

(तीन-क) किसी मण्डी समिति को, मण्डी प्रांगण और/या उपमण्डी प्रांगण के विकास के लिये, शीतागार गोदाम या भाण्डागार के सन्निर्माण के लिए, पौध संरक्षण उपस्करों के वितरण के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो वांछनीय समझे जाऍं, उधार ;

(चार) बोर्ड के कर्तव्यों का पालन करने के लिये भवनों या भूमि का अर्जन करना या निर्माण करना या भवनों या भूमि को पट्टे द्वारा या अन्यथा भाड़े पर लेना ;

(पांच) बोर्ड द्वारा नियोजित किये गये अधिकारियों तथा सेवकों को वेतन, छुट्टी, भत्ते, उपदान, अन्य भत्तों, उधारों तथा अग्रिम एवं भविष्य निधि का और प्रतिनियुक्ति पर के सरकारी सेवकों के लिए पेंशन तथा अन्य अभिदाय का भुगतान ;

(छ) बोर्ड के सदस्यों को यात्रा तथा अन्य भत्ते ;

(सात) मण्डी समिति का अधिक अच्छा नियंत्रण ;

(आठ) बोर्ड द्वारा उपगत किये गये किन्हीं विधिक व्ययों की पूर्ति करना ;

(नौ) कृषि उपज के नियमित वितरण में शिक्षण प्रदान करना ;

(दस) [1]{कृषकों, मण्डी समितियों के अधिकारियों तथा कर्मचारीवृन्द को प्रशिक्षण देना;

(दस-क) मण्डी प्रांगण के विकास के लिए सन्निर्माण के स्थल रेखांक (पजम च्संदे) तथा प्राक्कलन तैयार करने हेतु परियोजना रिपोर्ट या मास्टर प्लान तैयार करने हेतु मण्डी समितियों के लिये तकनीकी सहायता की व्यवस्था ;

(दस-ख) बोर्ड तथा मण्डी समितियों की आंतरिक संपरीक्षा ;

[1]{(दस-ग) कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिए कृषि आधानों (एग्रीकल्चरल इनपुट्स) का मण्डी क्षेत्रों में विपणन तथा विक्रय ;

(दस-घ) कृषि उपज के विपणन के लिए हाट बाजारों का विकास तथा मण्डी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के आवक-जावक को सुकर बनाने के लिए आधारिक संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का सन्निर्माण ;

(दस-ड़) आर्थिक रूप से कमजोर मण्डी समितियों के इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के व्यय का भुगतान करना ;}

[2]{(दस-च) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से सहकारी सेक्टर की उन कम्पनियों की अंशपूंजी में अतिशेष निधि का विनिधान जो कृषि प्रसंस्करण उद्योग में लगी हुई हैं, तथा परिसिद्ध तकनीक का उपयोग करती है तथा जिनकी परियोजनाओं को अधिकोषकीय और आर्थिक रूप से जीवनक्षम दर्शाया गया है ;}

[3]{(दस-छ) कृषि तथा सहबद्ध सेक्टरों में सुसंगत परीक्षण और संचार आधारित संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) का विकास ;}

(ग्यारह)कृषि उपज के विपणन का विनियमन करने के लिए सामान्य हित का कोई अन्य प्रयोजन।

धारा 45.
उधार लेने की बोर्ड की शक्ति -

बोर्ड, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार से धन उधार ले सकेगा या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से -

(एक) किसी अन्य अभिकरण से धन उधार ले सकेगा ; या

(दो) उसमें निहित किसी सम्पत्ति के प्राधिकार पर या इस अधिनियम, या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसे प्रोद्भूत होने वाली उसकी भावी आय के किसी भाग की प्रतिभूति पर डिबेंचर जारी कर सकेगा।

[1] म0प्र0 संशो0 अधि0 क्र0 27/1997, दिनांक 30 मई 1997 द्वारा प्रतिस्थापित/ अन्त: स्थापित।

[2] म0प्र0 संशो0 अधि0 क्र0 11/1998, राजपत्र दिनांक 09.06.98, पृ. 556 द्वारा अन्त:स्थापित।

[3] म0प्र0 संशो0 अधि0 क्र0 21/2000, राजपत्र दिनांक 13.07.2000, पृ. 898 द्वारा अन्त:स्थापित।

धारा 46.

बोर्ड के कर्तव्य तथा कृत्य –

बोर्ड –

(क) धारा 44 में विनिर्दिष्ट किये गये कृत्यों को, जिन पर बोर्ड की निधि व्यय की जा सकेगी, यथासंभव कार्यान्वित करेगा ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उसे निर्दिष्ट किये गये समस्त विषयों पर सलाह देगा;

(ग) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन राज्य सरकार की ऐसी शक्तियों का, जो कि बोर्ड को प्रत्यायोजित की जाये, प्रयोग करना;

(घ) राज्य सरकार को समय-समय पर स्वेच्छा से निम्नलिखित विषयों पर सलाह देगा:-

(एक) कृषि उपज की कीमत नियत करने में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्त;

(दो) मंडियों का दक्षतापूर्वक प्रबन्ध करने के लिए की जाने वाली कार्यवाही;

(तीन) वह रीति जिसमें कृषि उपज की आमद के आंकड़े तथा कृषि उपज के प्रेषणों संबंधी आंकड़े संकलित किये जाने चाहिए तथा बनाये रखे जाने चाहिए और प्रसारित किये जाने चाहिए ;

(चार) इस अधिनियम में तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों में संशोधन ;

(पांच) कोई ऐसा विषय जो इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने लिये आवश्यक हो।

{[1] (ड़) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के उपबंधों को कार्यान्वित करवाएगा।

(च) कृषि मण्डी समितियों का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करेगा''।}

धारा 47.

बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की शक्तियॉ –

इस बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसी कि विहित की जायें।

[1] म0प्र0 संशो0 अधि0 क्र0 27/1997, राजपत्र दिनांक 30 मई 97 द्वारा अन्त:स्थापित।

अध्याय 9
शास्ति
(PENALTY)

धारा 48.

धारा 6 या धारा 31 के उल्लंघन के लिये शास्ति –

जो कोई धारा 6 के खंड (ख) या धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह दोष सिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा और चालू रहने वाले उल्लंघन की दशा में ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके कि दौरान उल्लंघन चालू रहे, एक सौ रूपये तक का धारा 6 के खंड (ख) के उल्लंघन के मामले में तथा पचास रूपये तक का धारा 31 या धारा 37 की उपधारा (2) के उल्लंघन के मामले में हो सकेगा ;

परन्तु न्यायालय के निर्णय में विशेष तथा पर्याप्त प्रतिकूल कारणों के वर्णित न होने पर द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिये दण्ड तीन मास की अवधि के कारावास तथा पांच सौ रूपये के जुर्माने से कम नहीं होगा।

धारा 49.

अन्य धाराओं के उल्लंघन के लिये शास्ति –

(1) जो कोई धारा 35 के उपबन्धों के उल्लंघन में, कोई अप्राधिकृत व्यापारिक छूट देगा या लेगा, वह दोष सिद्धि पर, कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा तथा पश्चात्वर्ती उल्लंघन की दशा में कारावास से, जो छः मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो पॉच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(2) जो कोई मण्डी समिति द्वारा मंजूर की गयी अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करेगा, वह दोष सिद्धि पर, जुर्माने से, जो पांच सौ रूपये तक हो सकेगा दण्डित किया जायेगा।

(3) जो कोई किसी अधिकारी को, लेखाओं का निरीक्षण करने में या मण्डी समिति के कार्यकलापों की जांच करने में बाधा पहुॅचायेगा या धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन जारी किये गये किसी आदेश का अनुपालन नहीं करेगा, वह दोष सिद्धि पर, जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान अपराध चालू रहे, दो सौ रूपये का हो सकेगा।

(4) यदि मण्डी समिति का कोई अधिकारी, सेवक या सदस्य, जबकि वह मण्डी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाहियों के बारे में जानकारी देने के लिए धारा 54 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन अपेक्षित किया जाय–

(क) कोई जानकारी देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या कोई जानकारी देने से इंकार करेगा ; या

(ख) जानबूझकर मिथ्या जानकारी देगा; तो वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो पॉच सौ रूपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(5) जो कोई धारा 54 की उपधारा (3) के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी प्राधिकृत व्यक्ति को मण्डी समिति की किन्हीं पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों या सम्पत्ति का अभिग्रहण करने या कब्जा लेने में बाधा पहुंचायेगा या ऐसे व्यक्ति को उसका परिदान देने में चूक करेगा, वह, दोष सिद्धि पर, जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।

(6) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के अधीन मण्डी समिति को शोध्य किसी फीस या अन्य राशि के भुगतान में कपटपूर्वक अपवंचन करेगा या किन्हीं तुलैयों या हम्माल को पारिश्रमिक लेखे शोध्य भुगतान करने में अपवंचन या अपने नियोजन के लिये पारिश्रमिक की मॉग विक्रेता अथवा क्रेता के प्राधिकार के बिना करेगा या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अनुसार न मॉग कर अन्य प्रकार से पारिश्रमिक की मॉग करेगा, वह दोष सिद्धि पर, जुर्माने से, जो पॉच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा और चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से दंडित किया जायेगा जो उसके लिए दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके कि दौरान ऐसा अपराध चालू रहे, एक सौ रूपये तक का हो सकेगा।

(7) जो कोई इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों में से किसी भी नियम या उपविधि के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करेगा, वह, यदि उस अपराध के लिये कोई अन्य शास्ति उपबन्धित न की गई हो, जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक काहो सकेगा, दंडित किया जायेगा।

[2]{ धारा 50.
मण्डी समिति तथा अध्यक्ष की शास्तियॉ अधिरोपित करने की शक्ति–

(1) मण्डी समिति तथा उसका अध्यक्ष किसी अनुज्ञापित मण्डी कृत्यकारी या विक्रेता पर, किसी उपविधि के उल्लंघन के लिए परनिन्दा की या जुर्माने की शास्तियॉ अधिरोपित कर सकेगा ;

[2] म0प्र0 संशो0 अधि0 क्र0 28/2001, राजपत्र असाधारण दिनांक 27.10.2001 द्वारा प्रतिस्थापित। राजपत्र असाधारण दिनांक 27.10.2001 में प्रकाशित।

परन्तु मण्डी समिति {''दो हजार''} रूपये से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने के लिये सक्षम नहीं होगी तथा अध्यक्ष {''पांच सो''} से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने के लिये सक्षम नहीं होगा ;

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन कोई भी शास्ति सम्बन्धित व्यक्ति की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना अधिरोपित नहीं की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसे व्यक्ति द्वारा आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर प्रबंध संचालक को कर सकेगा और उस पर प्रबंध संचालक का विनिश्चय अंतिम होगा।

धारा 51.

मण्डी शोध्यों की वसूली–

जब कभी कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जाय, तब मजिस्ट्रेट, किसी ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त, जो कि अधिरोपित किया जाय, फीस की रकम या कोई अन्य रकम, जो कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन उससे शोध्य हो, वसूल करेगा और मण्डी समिति को उसका भुगतान कर देगा तथा स्वविवेकानुसार, अभियोजन के खर्चो को भी वसूल करेगा तथा मण्डी समिति को उनका भुगतान कर देगा।

धारा 52.

अपराधों का संज्ञान –

(1) द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट से निम्न वर्ग का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उपविधियों के अधीन किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या किसी उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का कलेक्टर द्वारा या मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव द्वारा किये गये या मण्डी समिति द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा किये गये परिवाद पर ही संज्ञान करेगा अन्यथा नहीं।

[1]धारा 53.

अपराधों का प्रशमन समझौता –

(1) मण्डी समिति या उसकी उपसमिति किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके कि संबंध में यह अभिकथित हो कि उसने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, इस प्रकार वसूली योग्य फीस या अन्य

[1] म0प्र0 संशो0 अधि0 क्र0 28/2001, राजपत्र असाधारण दिनांक 27.10.2001 द्वारा प्रतिस्थापित। राजपत्र असाधारण दिनांक 27.10.2001 में प्रकाशित।

रकम के अतिरिक्त, ऐसे अपराध के प्रशमन के मद्दे {''पांच हजार रूपये''} से अनधिक धनराशि प्रतिग्रहीत कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का प्रशमन होने पर, संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे अपराध के संबंध में कोई भी कार्यवाही न हो तो की जायेगी और न चालू रखी जायेगी और यदि उस अपराध के संबंध में उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय से पहले से संस्थित कर दी गई हो तो ऐसे प्रशमन का प्रभाव यह होगा कि वह उससे दोषमुक्त हो जायेगा।

अध्याय 10
नियंत्रण
(CONTROL)

धारा 54.

मंडियों का निरीक्षण तथा मण्डी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जॉच–

(1) प्रबंध संचालक–

(क) किसी मण्डी समिति के लेखाओं तथा कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा या करवा सकेगा ;

(ख) किसी मण्डी समिति के कार्यकलापों के संबंध में जांच कर सकेगा ;

(ग) किसी मण्डी समिति से ऐसी विवरणी, विवरण, लेखे या रिपोर्ट, जिसके कि देने की, ऐसी समिति से अपेक्षा करना वह उचित समझे, मंगा सकेगा ;

(घ) किसी मण्डी समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह –

(एक) किसी भी ऐसी आपत्ति पर, जिसका कि उसे किसी ऐसी बात के किये जाने में, जो कि ऐसी समिति द्वारा या उसकी ओर से की जाने वाली हो या की जा रही हो, विद्यमान होना प्रतीत होता है, अवैधता, असमीचीनता या अनौचित्य के आधार पर विचार कर ले ; या

(दो) किसी ऐसी जानकारी पर विचार कर ले जो कि वह (प्रबंध संचालक) दे सकता हो और जिसके कि संबंध में उसे (प्रबंध संचालक) को यह प्रतीत हो कि उससे किसी बात का ऐसी समिति द्वारा किया जाना आवश्यक हो जायगा ;

(ड़) यह निदेश दे सकेगा कि कोई ऐसी बात, जो कि जाने वाली हो या जो की जा रही है, उत्तर पर विचार के लम्बित रहने तक, नहीं की जाना चाहिए और कोई ऐसी बात, जो की जानी चाहिए किन्तु नहीं की जा रही है, ऐसे समय के भीतर, जिसके कि संबंध में वह निर्देश दे, की जानी चाहिए।

(2) जब किसी मण्डी समिति के कार्यकलापों का इस धारा के अधीन अन्वेषण किया जाय या किसी मण्डी समिति की कार्यवाही की परीक्षा धारा 59 के अधीन राज्य सरकार द्वारा की जाय, तब ऐसी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा समस्त अन्य अधिकारी तथा सेवक एवं सदस्य मण्डी समिति के कार्यकलापों या कार्यवाही के बारे में अपने कब्जे में की ऐसी जानकारी देंगे जो कि यथास्थिति राज्य सरकार, प्रबंध संचालक या प्राधिकृत किये गये अधिकारी को अपेक्षित हो।

(3) किसी ऐसे अधिकारी को, जो उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति के कार्यकलापों का अन्वेषण कर रहा हो, या राज्य सरकार को, जो धारा 59 के अधीन किसी मण्डी समिति की कार्यवाही की परीक्षा कर रही हो, यह शक्ति प्राप्त होगी कि वह मण्डी समिति के अधिकारियों या सदस्यों को, उन्हीं उपायों से तथा यथासम्भव उसी रीति में, जैसी कि किसी सिविल न्यायालय के मामलें में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) द्वारा उपबन्धित है, समन करे तथा हाजिर कराये तथा साक्ष्य देने एवं दस्तावेज पेश करने के लिये उन्हें विवश करे।

(4) जहॉ प्रबंध संचालक को यह विश्वास करने का कारण हो कि मण्डी समिति की पुस्तकों तथा अभिलेखों में गड़बड़ कर दी जाना या उन्हें नष्ट कर दिया जाना सम्भाव्य है या किसी मण्डी समिति की निधियों या सम्पत्ति का दुर्विनियोग या दुरूपयोजन किया जाना सम्भाव्य है, वहॉ प्रबंध संचालक, अपने द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को यह निदेश देते हुए आदेश जारी कर सकेगा कि वह मण्डी समिति की ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति का अभिग्रहण कर ले एवं उनका कब्जा प्राप्त कर लें और मण्डी समिति का ऐसा अधिकारी या उसके ऐसे अधिकारीगण, जो ऐसी पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों तथा सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी हों उनका परिदान इस प्रकार प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को करेंगे/करेगा।

धारा 55.

मण्डी समिति के सदस्य, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का हटाया जाना–

(1) प्रबंध संचालक, स्वप्रेरणा से या तत्समय मण्डी समिति का गठन करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किये गये संकल्प पर, मण्डी समिति के किसी भी सदस्य को अवचार के कारण या उसके कर्तव्य के पालन में उपेक्षा या अक्षमता के कारण हटा सकेगा और इस प्रकार हटाये जाने पर उसे इस प्रकार हटाये जाने की तारीख से छः वर्ष की कालावधि के लिये मण्डी समिति के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित या पुनः नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायगा ;

परन्तु इस प्रकार हटाये जाने का कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक ऐसे सदस्य को, यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जावे।

(2) प्रबंध संचालक किसी मण्डी समिति के किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अवचार के कारण या उसके कर्तव्य के पालन में उपेक्षा या अक्षमता के कारण या उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बार-बार असावधान रहने के कारण उसके पद से हटा सकेगा और इस प्रकार हटा दिये जाने पर यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, मण्डी समिति के सदस्य के रूप में अपनी पदावधि के शेष भाग के दौरान, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचन के लिये पात्र नही होगा ;

परन्तु हटाये जाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को, यह कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों न पारित किया जाय।

(3) राज्य सरकार किसी मण्डी समिति के किसी ऐसे सदस्य या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिस पर यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील कर दी गई हो, और जिसके विरूद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हों या जो ऐसी सूचना की तामील के पश्चात् अनियमितताएं करता है, शिकायत प्राप्त होने की तारीख से या अनियमितताओं के प्रबंध संचालक की जानकारी में आने की तारीख से ऐसी कालावधि के लिये निलम्बित कर सकेगी, जब तक कि उसके मामलें में अंतिम विनिश्चिय नहीं कर लिया जाता है।

धारा 56.

मण्डी समिति का अतिष्ठान –

(1) यदि प्रबंध संचालक की राय में, कोई मण्डी समिति इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित किये गये कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है या उनका पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करती है या अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करती है, तो प्रबंध संचालक लिखित आदेश द्वारा, ऐसी समिति का एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिये अतिष्ठित, कर सकेगा और अतिष्ठान की कालावधि के प्रथम छः मास का अवसान हो जाने पर, मण्डी समिति के गठन हेतु निर्वाचन कराये जाने की कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी तथा अतिष्ठान की कालावधि के संबंध में यह समझा जायेगा कि उसकी अवसान इस प्रकार गठित की गई मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन की तारीख को हो गया है ;

परन्तु इस उपधारा के अधीन अतिष्ठान का आदेश पारित करने के पूर्व, प्रबंध संचालक प्रस्ताव के विरूद्ध कारण दर्शाने के लिये मण्डी समिति को युक्तियुक्त अवसर देगा और मण्डी समिति के स्पष्टीकरणों तथा आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करेगा;

परन्तु यह और भी कि जहॉ नई मण्डी समिति का गठन उसके अतिष्ठान के एक वर्ष के भीतर नहीं किया जासकता हो, वहॉ राज्य सरकार, विशेष परिस्थितियों में, अतिष्ठान की कालावधि को बढ़ा सकेगी जो किसी भी दशा में मण्डी समिति के अवधि से, जो [1]{धारा 13 की उपधारा (2)} में विनिर्दिष्ट है, अधिक नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति को अतिष्ठित करने वाले आदेश के पारित होने पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् –

(क) मण्डी समिति के समस्त सदस्यों तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के संबंध में ऐसे आदेश के पारित होने की तारीख से यह समझा जायेगा कि उन्होंने अपने–अपने पद रिक्त कर दिये हैं ;

(ख) मण्डी समिति में निहित समस्त आस्तियॉ, उसके समस्त दायित्वों के अध्यधीन रहते हुये, राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी।

''[2](3) जहां कोई मण्डी समिति अतिष्ठित कर दी गयी है तो प्रबंध संचालक मण्डी समिति के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए तथा उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा और प्रबधं संचालक अतिष्ठित की गयी मण्डी समिति की ऐसी आस्तियॉ तथा दायित्व, जो कि ऐसे अन्तरण की तारीख को हों, भारसाधक अधिकारी को अन्तरित कर सकेगा :

परन्तु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने या उसके पद त्याग कर देने या उसके छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है, और ऐसी रिक्ति प्रबंध संचालक द्वारा यथाशक्य शीघ्र, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है तब तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

[3](4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी भारसाधक अधिकारी को किसी भी समय प्रबंध संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

[1](5) उपधारा (3) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, अपनी सेवाओं के लिए ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि प्रबंध संचालक द्वारा नियत किये जाएं, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा''।

(6) अतिष्ठान की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी भी समय राज्य सरकार धारा 11 के अधीन नवीन समिति का गठन कर सकेगी तथा अतिष्ठित की गयी समिति की वे आस्तियॉ तथा दायित्व, जो कि ऐसे अन्तरण की तारीख को हों, उसे अंतरित कर सकेगी।

[1](7) यथा पुनर्गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गयी तारीख से भारसाधक अधिकारी अपने पद पर नहीं रहेगा''।

[1] संशो0 अधि0 क्र0 27/1997 राजपत्र असा0 दि0 30.05.97 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] अध्यादेश क्र. 1/1994 म.प्र.राजपत्र 16 जनवरी, 1994 पृ. 22 (2–4) तथा संशोधन अधिनियम क्र. 8/1994 राजपत्र असाधारण दि. 25.3.94 पृ. 270 (3–5), द्वारा संशोधित, (विधेयक क्र. 5/1997, दि. 4.3.1997)

[3] अध्यादेश क्र. 1/1994 म.प्र.राजपत्र 16 जनवरी, 1994 पृ. 22 (2–4) तथा संशोधन अधिनियम क्र. 8/1994 राजपत्र असाधारण दि. 25.3.94 पृ. 270 (3–5), द्वारा संशोधित, (विधेयक क्र. 5/1997, दि. 4.3.1997)

धारा 57.

धारा [1](13) के अधीन विघटन के परिणाम –

(1) जहॉ कोई मण्डी समिति [2]{ धारा 13 की उपधारा (2) के परन्तुक} के अधीन विघटित हो जाती है वहॉ निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :–

(क) मण्डी समिति के समस्त सदस्यों और उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष केबारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त उपधारा के अधीन ऐसी मण्डी समिति का विघटन हो जाने की तारीख से अपना–अपना पद रिक्त कर दिया है ;

(ख) इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग तथा उसके समस्त कर्तव्यों का पालन प्रबंध संचालक के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे प्रबंध संचालक आदेश द्वारा, इस संबंध में नियुक्त करे और जो भारसाधक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा :

परन्तु भारसाधक अधिकारी की मृत्यु हो जाने, उसके पद त्याग कर देने, छुट्टी पर होने या उसके निलंबित होने की दशा में यह समझा जाएगा कि ऐसे पद में आकस्मिक रिक्ति हो गई है और ऐसी रिक्ति, प्रबंध संचालक द्वारा, यथाशक्त शीघ्र उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करके भरी जाएगी और जब तक ऐसी नियुक्ति नहीं कर दी जाती है तब तक कलेक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति भारसाधक अधिकारी के रूप में कार्य करेगा ;

(ग) मण्डी समिति में निहित समस्त सम्पत्ति इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारसाधक अधिकारी में न्यासतः निहित होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी भारसाक अधिकारी को किसी भी समय, प्रबंध संचालक द्वारा हटाया जा सकेगा, जिसे उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन भारसाधक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी सेवाओं के लिए ऐसा वेतन तथा भत्ते, जो कि प्रबंध संचालक द्वारा नियत किए जाएं, मण्डी समिति निधि से प्राप्त करेगा।

(4) यथापुनर्गठित मण्डी समिति के प्रथम साधारण सम्मिलन के लिए नियत की गई तारीख से भारसाधक अधिकारी अपने पद पर नहीं रहेगा''।

[1] संशो0 अधि0 क्र0 27/1997 राजपत्र असा0 दि0 30.05.97 द्वारा प्रतिस्थापित।

धारा 57–क

निर्वाचनों को मुल्तवी करने की राज्य सरकार की शक्ति –

(1) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियॉ विद्यमान हैं जिनके कारण ऐसा करना आवश्यक हो गया है, तो राज्य सरकार इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, समय समय पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन किसी मण्डी समिति के सदस्यों के निर्वाचन को एक समय में एक वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि केलिये, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मुल्तवी कर सकेगी :

परन्तु सम्पूर्ण कालावधि कुल मिलाकर तीन वर्ष छः मास से अधिक नहीं होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी कर दिये जाने पर, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :–

(क) कोई भी निर्वाचन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के दौरान नहीं किया जायगा ;

(ख) निर्वाचन कार्यवाहियॉ चाहे वे किसी भी प्रकम पर हों, निराकृत हो जायेंगी ; और

(ग) सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिये अभ्यर्थियों द्वारा किये गये निक्षेप उन्हें वापस कर दिये जायेंगे।

स्पष्टीकरण –

इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''निर्वाचन कार्यवाहियां'' से अभिप्रेत है वह प्रक्रिया जो उस तारीख से प्रारम्भ होती हो जिसको कि निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन करने के लिये अपेक्षा की गयी हो तथा तब समाप्त होती हो जबकि निर्वाचन के परिणाम की घोषणा कर दी जाये।

धारा 58.

हानि, दुर्व्यय या दुरूपयोजन आदि के लिये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों का दायित्व –

(1) यदि, धारा 54 के अधीन की गई जॉच या किये गये निरीक्षण के अनुक्रम में या इस अधिनियम के अधीन की गयी संपरीक्षा के अनुक्रम में यह पाया जाय कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे किसी मण्डी समिति का प्रबंध सौपा गया है या सौंपा गया था या मण्डी समिति के किसी मृत, भूतपर्वू या वर्तमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, भारसाधक अधिकारी,, मण्डी समिति के सचिव या उसके किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी या

राज्य सरकार के किसी अधिकारी ने ऐसी समिति के या उसके नियंत्रणाधीन किसी धन या अन्य सम्पत्ति का संदाय या उपयोजन, किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिये, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल हो, किया हो या उसके करने का, उससे संबंधित किसी सकारात्मक मत या कार्यवाही में अनुमति देकर या सहमति देकर या उसमें भाग लेकर, निदेश दिया हो या घोर उपेक्षा या अवचार के द्वारा कोई कमी या हानि कारित की हो या मण्डी समिति के किसी भी धन का या अन्य सम्पत्ति का दुर्विनियोग किया हो या उसे कपटपूर्वक प्रतिधारित किया हो, तो प्रबंध संचालक, स्वप्रेरणा से या मण्डी समिति का आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे व्यक्ति के आचरण के संबंध में, उस तारीख से, जिसको कि यथास्थिति संपरीक्षा, जॉच या निरीक्षण की रिपोर्ट की गयी हो, दो वर्ष के भीतर स्वयं जॉच कर सकेगा या इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा अपने सम्यक् रूप से प्राधिकृत किये गये अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को उस जॉच के करने के लिये निर्देश दे सकेगा।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन की गयी जॉच हो जाने पर प्रबंध संचालक का यह समाधान हो जाये कि इस उपधारा के अधीन आदेश देने के लिये अच्छे आधार हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति से या मृत व्यक्ति के मामले में उसके विधिक प्रतिनिधि से, जिसको उसकी सम्पदा विरासत में मिली हो यह अपेक्षा करते हुए आदेश दे सकेगा कि वह उस धन या उस सम्पत्ति का या उसके किसी भी भाग का ऐसी दर से ब्याज सहित प्रतिसंदाय या वापसी करे या अभिदाय तथा खर्चे या प्रतिकर का ऐसी सीमा तक संदाय करे जिसे कि प्रबंध संचालक न्यायसंगत या साम्यापूर्ण समझे :
परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और भी कि मृतक के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस सम्पत्ति की सीमा तक ही होगा जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि को विरासत में प्राप्त हुई हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस तारीख से जिसको कि उसे आदेश संसूचित किया गया हो, तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को, अपील कर सकेगा और राज्य सरकार के आदेश के अध्यधीन रहते हुये प्रबंध संचालक का आदेश अंतिम एवं निश्चायक होगा :

परन्तु परिसीमा-काल की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जायेगा जो कि उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध अपील की गयी हो, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो।

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया कोई भी आदेश किसी भी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किया गया कोई भी आदेश प्रबंध संचालक का आवेदन प्राप्त होने पर स्थानीय अधिकारिता रखने वाले किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा उसी रीति में प्रवर्तित किया जायेगा मानों कि वह ऐसे न्यायालय की डिक्री हो, या कोई भी ऐसी रकम, जिसके कि संबंध में ऐसे आदेश द्वारा यह निर्देशित किया गया हो कि उसका भुगतान किया जाय, भू-राजस्व के बकाया की भॉति वसूल की जा सकेगी।

(6) यदि शपथ पत्र के आधार पर, जॉच करने पर या अन्यथा, प्रबंध संचालक का यह समाधान हो जाय कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे आदेश के, जो कि इस धारा के अधीन उसके विरूद्ध पारित किया जा सकता है, प्रवर्तन में विलम्ब करने या उसमें बाधा डालने के आशय से -

(क) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है; या

(ख) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को या उसके किसी भाग को राज्य से हटाने वाला है, तो वह प्रबंध संचालक, यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी गई हो, यह निर्देश दे सकेगा कि उक्त सम्पत्ति की या उसके किसी ऐसे भाग की, जिसे कि वह आवश्यक समझे, सशर्त कुर्की कर ली जाय तथा ऐसी कुर्की का वही प्रभाव होगा मानों कि वह सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गयी हो।

धारा 59.
मण्डी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने की शक्ति -

(1) प्रबंध संचालक, स्वप्रेरणा से, या उसे किये गये आवेदन पर, किसी भी मण्डी समिति की कार्यवाहियों को तथा राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से, या उसे किये गये आवेदन पर, प्रबंध संचालक की कार्यवाहियों को, जैसी भी कि दशा हो, किये गये किसी भी विनिश्चय की या पारित किये गये किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में तथा यथास्थिति समिति या प्रबंध संचालक की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन के लिये मॅगा सकेगी/सकेगा तथा उनकी परीक्षा कर सकेगी/सकेगा। यदि किसी भी मामलें में प्रबंध संचालक या राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी भी ऐसे विनिश्चय या आदेश या इस प्रकार मंगाई गयी कार्यवाही को उपान्तरित किया जाना चाहिये, वातिल किया जाना चाहिए, उलट दिया जाना चाहिये या पुनर्विचार के लिये विप्रेषित किया जाना चाहिये, तो वह उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगी/सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु प्रत्येक ऐसा आवेदन, जो कि प्रबंध संचालक या राज्य सरकार को इस हेतु से किया जाना हो कि वह धारा के अधीन की शक्तियों का प्रयोग करे, उस तारीख से

साठ दिन के भीतर किया जायगा जिसको कि वह विनिश्चय या आदेश, जिससे कि ऐसा आवेदन संबंधित है, आवेदक को संसूचित किया गया था:
परन्तु यह और भी कि उपधारा (1) के अधीन कोई भी ऐसा आदेश, उससे (आदेश से) प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना पारित नहीं किया जायगा।

(2) मण्डी समिति द्वारा किये विनिश्चय या पारित किये गये आदेश के निष्पादन को यथास्थिति प्रबंध संचालक या राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने पर्यन्त निलम्बित कर सकेगी/सकेगा।

अध्याय 11
प्रकीर्ण

धारा 60.
अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति–

राज्य सरकार, अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गयी कृषि–उपज की मदों में से किसी भी मद में, अधिसूचना द्वारा परिवर्द्धन या संशोधन कर सकेगी या उसे निकाल सकेगी और तदुपरान्त अनुसूची तद्नुसार संशोधित हुई समझी जायेगी :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, राज्य सरकार के ऐसी अधिसूचना जारी करने के आशय की कम से कम छः सप्ताह की, जैसा कि राज्य सरकार युक्तियुक्त समझे, पूर्व सूचना राजपत्र में दिये बिना जारी नहीं की जायगी।

धारा 61.
राशियों की भू–राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली–

(1) कोई भी ऐसी राशि, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के उपबन्धों के अधीन किसी प्रभार, लागत, व्यय, फीस, भाटक या किसी अन्य लेखे, किसी मण्डी समिति या बोर्ड [1]{या कृषि उपज के किसी विक्रेता} को शोध्य हों, उस रीति में वसूली योग्य होंगी जिसमें कि भू–राजस्व की बकाया वसूल की जाती है।

(2) कोई भी ऐसी राशि, जो यथास्थिति बोर्ड या राज्य सरकार को किसी मण्डी समिति से शोध्य हो, उसी रीति में वसूली योग्य होगी जिसमें कि भू–राजस्व की बकाया वसूली की जाती है।

[2]{ ''परन्तु इस प्रकार वसूल की गई राशि में से, ऐसे नियमों के अनुसार जो इस निमित्त बनाये जाएं, ऐसी वसूली करने वाले व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि संदत्त किया जाना अनुज्ञात किया जा सकेगा।''}

(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन की गई कार्यवाहियों से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे सूचना दी जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रबंध संचालक को अपील कर सकेगा जिसका उस पर आदेश अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा।

(4) प्रबंध संचालक, यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे, उन कार्यवाहियों को, जिनके विरूद्ध अपील की गई है, ऐसी कालावधि तक के लिये रोक सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

धारा 62.

पुलिस अधिकारी के कर्तव्य –

प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह कोई भी ऐसी जानकारी, जो कि इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या उपविधि के विरूद्ध कोई अपराध करने के किसी प्रयत्न के या ऐसे किसी अपराध के किये जाने के बारे में उसे प्राप्त हो, यथाशक्य शीघ्र मण्डी समिति को संसूचित करे तथा मण्डी समिति के सचिव या किसी अधिकारी या सेवक की, जो कि अपने विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में उसकी (पुलिस अधिकारी की) सहायता मॉगे, सहायता करे।

धारा 63.

हानि, कमी तथा वसूल न होने योग्य फीसों को बट्टे खाते डालने की शक्ति–

जब कभी यह पाया जाय कि किसी मण्डी समिति को शोध्य कोई रकम वसूल न होने योग्य है, या यह पाया जाय कि उसका परिहार कर दिया जाना चाहिये या जब कभी किसी समिति के धन या सामान या अन्य सम्पत्ति की कोई हानि किसी व्यक्ति के कपट या उपेक्षा के कारण या किसी अन्य कारण से हुई हो और यह पाया जाय कि वह सम्पत्ति या धन वसूल न होने योग्य है, तब एक सौ रूपये से अनधिक राशि होने की दशा में अध्यक्ष और इससे अधिक राशि होने की दशा में मण्डी समिति यह आदेश दे सकेगी कि उन सबको यह दर्शा कर बट्टे खाते डाल दिया जाय कि वे खो गये हैं/खो गयी हैं, वसूल न होने योग्य है या उनका परिहार कर दियागयाहै, जैसी भी कि दशा हो:

परन्तु यदि किसी मामले में रकम पांच सौ रूपये से अधिक हो, तो ऐसा आदेश प्रबंध संचालक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रभावी नहीं होगा।

[1] संशो0 अधि0 क्र0 27/1997 राजपत्र असा0 दि0 30.05.97 द्वारा अंत:स्थापित।

[2] म0प्र0 संशो0 अधि0 क्र0 28/2001, राजपत्र असाधारण दिनांक 27.10.2001 द्वारा प्रतिस्थापित। राजपत्र असाधारण दिनांक 27.10.2001 में प्रकाशित।

धारा 64.

मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आदि लोक सेवक होंगे–

मण्डी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अन्य अधिकारी तथा सेवक और बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य सेवक भारतीय दण्ड संहिता 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

धारा 65.

शक्तियों का प्रत्यायोजन – (DELEGATION OF POWER)

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति धारा 79 के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को, जो प्रबंध संचालक के पद से निम्न पद का न हो, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

[1]{ (2) प्रबंध संचालक, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति राज्य मण्डी बोर्ड सेवा के किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।}

(3) प्रबंध संचालक या इस धारा के अधीन सशक्त किये गये किसी अधिकारी को, जब कि वह किसी मण्डी समिति और किसी व्यक्ति के बीच या किन्हीं कार्यवाहियों के पक्षकारों के बीच अवधारण के लिये उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न के बारे में जॉच करने या उसे विनिश्चित करने के लिये इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, न्यायालय समझा जायगा।

धारा 66.

सिविल वाद का वर्जन –

किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी हो या जिसका सद्भावपूर्वक किया जाना आशयित रहा हो प्रबंध संचालक के विरूद्ध या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी के विरूद्ध या बोर्ड या किसी मण्डी समिति के विरूद्ध या बोर्ड या किसी मण्डी समिति के अधिकारी या सेवक के विरूद्ध या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो कि प्रबंध संचालक, ऐसे अधिकारी या ऐसी समिति के निर्देशों के अधीन तथा अनुसार कार्य कर रहा हो, विरूद्ध कोई भी वाद नही होगा।

[1] संशो0 अधि0 क्र0 27/1997 म.प्र.राजपत्र असा0 दि0 30.05.97 द्वारा प्रतिस्थापित।

[2] संशो0 अधि0 क्र0 14/1997 म.प्र.राजपत्र असा0 दि0 6.5.9, पृ. 711-712 द्वारा अंत:स्थापित।

[2]{ **66-क**

निर्वाचन याचिका,-

(1) इस अधिनियम के अधीन के किसी निर्वाचन को केवल, संभाग के आयुक्त को विहित रीति में प्रयुक्त याचिका द्वारा ही प्रश्नगत किया जाएगा।

(2) ऐसी कोई याचिका तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि वह उस तारीख से, जिसको कि प्रश्नगत निर्वाचन अधिसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न कर दी जाए।

(3) ऐसी याचिका की जांच या उसका निपटारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो विहित की जाए।}

धारा 67.

सूचना न दिये जाने की दशा में वाद का वर्जन -

बोर्ड या किसी समिति के विरूद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी लिखित सूचना के, जिसमें कि वाद हेतुक, इच्छुक वादी का नाम तथा निवास स्थान तथा वह अनुतोष, जिसका कि वह दावा करता हो, कथित हो, उसे परिदत्त कर दिये जाने या उसके कार्यालय में छोड़ दिये जाने के ठीक पश्चात् दो मास का अवसान न हो गया हो। ऐसा प्रत्येक वाद खारिज कर दिया जायगा यदि वह अभिकथित वाद हेतुक के प्रोद्भूत होने की तारीख से छः मास के भीतर संस्थित न किया गया हो।

धारा 68.

कार्यवाहियॉ रिक्ति (VACANCY) के कारण अविधिमान्य नहीं होंगी-

बोर्ड या किसी मण्डी समिति या उसकी उप-समितियों में से किसी भी उप-समिति का कोई भी कार्य केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि-

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में त्रुटि है, या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रृटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं डालती।

अध्याय 12
मण्डी की सीमाओं में परिवर्तन
(ALTERATION OF LIMITS OF MARKETS)

धारा 69.

मण्डी-फीस से छूट देने की शक्ति-

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और ऐसी शर्तो तथा निबन्धनों के, यदि कोई हों, जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कियेजायें, अध्यधीन रहते हुये, किसी ऐसी कृषि-उपज को, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किये गये मण्डी क्षेत्र में विक्रय के हेतु लाई गई हो या क्रय की गई हो या बेची गई हो, ऐसी कालावधि के लिये, जो कि उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, मण्डी-फीस के भुगतान से पूर्णतः या भागतः छूट दे सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना को उस कालावधि का, जिसके कि लिये उसे प्रवृत्त बने रहना था, अवसान होने के पूर्व विखंडित किया जा सकेगा और ऐसा विखंडन हो जाने पर ऐसी अधिसूचना प्रवृत्त नहीं रह जायगी।

धारा 70.

मण्डी-क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उन्हें समामेलित करने या उनको विपाटित करने के आशय की अधिसूचना -

(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा-

(एक) मण्डी- क्षेत्र में, उनके समीपवर्ती किसी अन्य क्षेत्र को सम्मिलित करके या उसमें से किसी ऐसे क्षेत्र को, जो उसमें समाविष्ट हो, अपवर्जित करके मण्डी क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन करने के ; या

(दो) दो या अधिक मण्डी-क्षेत्रों को समामेलित करने के तथा उनके लिये एक मण्डी समिति गठित करने के ; या

(तीन) किसी मण्डी-क्षेत्र को विपाटित करने के तथा उसके लिये दो या अधिक मण्डी समितियां गठित करने के ; या

(चार) किसी मण्डी को बन्द करने के अपने आशय को संज्ञापित कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना में यथास्थिति उस क्षेत्र की, जिसे कि किसी मण्डी-क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना या जिसे किसी मण्डी-क्षेत्र में से अपवर्जित किया जाना आशयित हो, या उन मण्डी-क्षेत्रों की, जिनको कि समामेलित करके एक मण्डी-क्षेत्र बनाया जाना आशयित हो, या किसी विद्यमान मण्डी-क्षेत्र को विपाटित करने के पश्चात् गठित की जाने के लिये आशयित मंडियों में से प्रत्येक मण्डी

के क्षेत्र की या उस मण्डी के, जिसका कि बन्द किया जाना आशयित हो, क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित की जायेंगी और उपर्युक्त प्रत्येक अधिसूचना में छः सप्ताह से कम न होने वाली कालावधि भी विनिर्दिष्ट की जायेगी जिसके कि भीतर आपत्तियॉ, यदि कोई हों, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जायेंगी।

धारा 71.

धारा 70 के अधीन अधिसूचना के पश्चात् की प्रक्रिया–

(1) धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना से प्रभावित मण्डी–क्षेत्रों का कोई भी निवासी, यदि उसे उस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किसी बात के बारे में आपत्ति हो, अपनी लिखित आपत्तियॉ राज्य सरकार को, ऐसी कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर सकेगा, जो कि उक्त अधिसूचना में इस प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट की गयी हों।

(2) जब उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि का अवसान हो गया हो, और जब राज्य सरकार ने उन आपत्तियों पर, जो कि उक्त कालावधि के भीतर उसको प्रस्तुत की गयी हों, विचार कर लिया हो तथा आदेश पारित कर दिये हों, तब राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा–

(क) उस क्षेत्र को या उसके किसी भाग को मण्डी–क्षेत्र में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से उसे अपवर्जित (excluded) कर सकेगी ; या

(ख) समामेलित (amalgamated) किये गये मण्डी–क्षेत्रों के लिये नवीन मण्डी समिति का गठन कर सकेगी ; या

(ग) किसी विद्यमान मण्डी–क्षेत्र को विपाटित (split up) कर सकेगी और ऐसे क्षेत्रों के लिये यथास्थिति दो या अधिक मण्डी समितियों का गठन कर सकेगी ; या

(घ) मण्डी को बन्द (dis-establish) कर सकेगी।

धारा 72.

सीमाओं का परिवर्तन, समामेलन या विपाटन होने पर मण्डी समितियों के गठन आदि के संबंध में पारिणामिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति–

(1) जहॉ धारा 71 के अधीन अधिसूचना जारी की गयी हो, वहॉ राज्य सरकार निम्नलिखित के संबंध में ऐसे पारिणामिक आदेश दे सकेगी जैसे कि वह उचित समझे–

(क) परिवर्तित क्षेत्र के लिये मण्डी समिति का गठन जब कि कोई स्थानीय क्षेत्र किसी मण्डी-क्षेत्र में सम्मिलित किया गया हो या उसमें से अपवर्जित किया गया हो;

(ख) उन विद्यमान मण्डी समितियों का, जो कि समामेलित की गयी हो, विघटन और तत्पश्चात्, समामेलित मण्डी समिति का गठन जबकि दो या अधिक मण्डी समितियॉ समामेलित की गयी हो ;

(ग) विपाटित की गयी मण्डी समिति का विघटन और तत्पश्चात्, उसके स्थान पर स्थापित की गयी मण्डी समितियों का गठन तथा उससे आनुषंगिक बातें।

[1]{''(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) के उपबंधों के अनुसार पारित किए गए आदेश के परिणामस्वरूप राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मण्डी समिति के गठन के लंबित रहने की कालावधि के दौरान स्थापित की गई नई मण्डी के लिए एक भारसाघक समिति का गठन करेगी.

(3) विघटित मण्डी समितियों के समामेलन की दशा में, भारसाधक समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) एक अध्यक्ष जो विघटित मण्डी समितियों के निर्वाचित अध्यक्षों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) दस कृषक प्रतिनिधि जो विघटित मण्डी समितियों के निर्वाचित कृषक प्रतिनिधियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(ग) एक व्यापारी प्रतिनिधि जो विघटित मण्डी समितियों के निर्वाचित व्यापारी प्रतिनिधियों में से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(घ) राज्य की विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जो मण्डी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(ड.) मण्डी क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी विपणन सोसाइटी का एक प्रतिनिधि जो ऐसी सोसाइटी की प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

(च) जिले में कार्यरत् कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कलक्टर की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

[1] संशो0 अधि0 क्र0 15/2003 म.प्र.राजपत्र असा0 पृ0 474(2)-474(3)-474(4) दि0 28.4.2003 द्वारा अंत:स्थापित।

(छ) मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य जो अध्यक्ष की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ज) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष;

(झ) जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष;

(ञ) ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य जो जिला पंचायत के अध्यक्ष की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) (क) मण्डी समिति के विपाटन की दशा में, प्रत्येक भारसाधक समिति एक अध्यक्ष, दस कृषक प्रतिनिधि तथा एक व्यापारी प्रतिनिधि से मिल कर गठित की जाएगी:

परन्तु,–

(एक) विघटित मण्डी समिति का अध्यक्ष स्थापित की गई उस नई मण्डी समिति का नामनिर्दिष्ट अध्यक्ष होगा जिसका वह मतदाता हो तथा अन्य मण्डी समिति के लिए राज्य सरकार एक अध्यक्ष नामनिर्दिष्ट करेगी जो धारा 11–ख की उपधारा (2) और (3) में विहित अर्हताएं रखता हो;

(दो) विघटित मण्डी समिति के कृषक प्रतिनिधि उस नवगठित मण्डी समिति के सदस्य के रूप में भी नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जिनके वे मतदाता हैं तथा शेष कृषक प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो धारा 11–ख की उपधारा (1), (2) तथा (3) में विहित अर्हताएं रखते हों;

(तीन) विघटित मण्डी समिति के व्यापारियों के प्रतिनिधि को उस नवगठित मण्डी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसका वह मतदाता है तथा अन्य मण्डी समिति के लिए राज्य सरकार, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी को व्यापारियों के प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी जो धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में विहित अर्हताएं रखते हों;

(ख) राज्य विधानसभा का एक सदस्य जो उस जिले से निर्वाचित किया गया हो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा जो मण्डी समिति के सम्मिलन में उपस्थित होने के प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट कर सकेगा;

(ग) मण्डी क्षेत्र में कार्य कर रही सहकारी विपणन सोसाइटी का एक प्रतिनिधि जो ऐसी सोसाइटी की प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा;

(घ) जिले में कार्यरत् कृषि विभाग का एक अधिकारी जो कलक्टर की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ड) मण्डी क्षेत्र में कार्यरत मण्डी समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त अनुज्ञप्तिधारी तुलैयों तथा हम्मालों का एक सदस्य जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(च) जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक का अध्यक्ष;

(छ) जिला भूमि विकास बैंक का अध्यक्ष;

(ज) ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत या जिला पंचायत का एक सदस्य जो जिला पंचायत के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) की अनुशंसा पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा.

(5) उपधारा (2) के अधीन गठित भारसाधक समिति, प्रबंध संचालक के नियंत्रणाधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन मण्डी समिति की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा समस्त कर्तव्यों का पालन करेगी.''.}

धारा 73.

सीमाओं के परिवर्तन का परिणाम –

जहां मण्डी क्षेत्र में से कोई क्षेत्र अपवर्जित करते हुये तथा किसी ऐसे क्षेत्र को किसी अन्य मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए धारा 71 के अधीन अधिसूचना जारी की गयी हो वहॉ राज्य सरकार, मण्डी समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह अवधारित करने के लिये स्कीम बनायेगी कि एक मण्डी समिति में निहित आस्तियों तथा अन्य सम्पत्तियों का कौन-सा भाग अन्य मण्डी समिति में निहित होगा और मण्डी समितियों के दायित्वों को उन दो मण्डी समितियों के बीच किस रीति से प्रभाजित किया किया जायगा और ऐसी स्कीम राजपत्र में प्रकाशित की जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

धारा 74.

समामेलन (aaAmalgamation) का परिणाम –

समामेलित मण्डी-क्षेत्रों के लिये नवीन मण्डी समिति का गठन करते हुए धारा 71 के अधीन अधिसूचना जारी होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् –

(क) धारा 71 के अधीन समामेलन की तारीख के ठीक पूर्व किसी मण्डी समिति के नियंत्रणाधीन समस्त सम्पत्ति, जिसमें निधियॉ भी सम्मिलित हैं नवीन मण्डी समिति की सम्पत्ति तथा निधि हो जायेगी ;

(ख) समामेलित मण्डी-क्षेत्रों की मण्डी समितियों के कर्मचारी, जब तक कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कलेक्टर द्वारा अन्यथा आदेश न दिया जाय, सेवा में बनाये रखे जायेंगे और नवीन मण्डी समिति द्वारा नियुक्त कर्मचारी समझे जायेंगे;

(ग) ऐसे समस्त नियम, उपविधियॉ, आदेश तथा अधिसूचनाएँ, जो धारा 71 के अधीन समामेलन की तारीख से ठीक पूर्व समामेलित मण्डी समितियों के क्षेत्र में प्रवृत्त हों, ऐसे विषयों से, जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, संबंधित नियमों, उपविधियों, आदेशों तथा अधिसूचनाओं को छोड़कर, निरस्त हो जायेंगी, और उसमें विनिर्दिष्ट किये गये विषयों से संबंधित नियम, उपविधियॉ, आदेश तथा अधिसूचनाएँ नवीन मण्डी समिति के क्षेत्र में सर्वत्र तब तक प्रवर्तित रहेंगी जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित ; संशोधित या रद्द न कर दिया जाय:

परन्तु ऐसा निरसन, की गयी समस्त कार्यवाहियों तथा बातों के संबंध में मध्यप्रदेश जनरल क्लाजेज ऐक्ट, 1957 (क्रमांक 03 सन् 1958) की धारा 10 उपबन्धों द्वारा शामिल होगा; और

(घ) कोई भी ऐसा अधिकारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, जो कि धारा 71 के अधीन समामेलित मण्डी समितियों द्वारा अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कियागया हो, नवीन मण्डी समिति द्वारा अर्जित प्रोद्भूत या उपगत किया गया अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व समझा जायगा।

धारा 75.

विपाटन का परिणाम –

(1) किसी मण्डी क्षेत्र को दो या अधिक मण्डी क्षेत्रों में विपाटित करते हुए धारा 71 के अधीन अधिसूचना के जारी होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् –

(क) ऐसे समस्त नियम, उपविधियॉ तथा आदेश, जो धारा 71 के अधीन ऐसी मण्डी समिति के मण्डी क्षेत्र का विपाटन किया जाने के ठीक पूर्व मूल मण्डी समिति के क्षेत्र प्रवृत्त थे, नवीन मण्डी समितियों में समाविष्ट क्षेत्रों में तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक उन्हें इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार परिवर्तित, संशोधित या रद्द न कर दिया जाय ;

(ख) ऐसी समस्त शक्तियों तथा कर्तव्यों का, जिनका कि इस अधिनियम के अधीन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रयोग किया जाना हो या पालन किया जाना हो, जब तक कि नवीन मण्डी क्षेत्रों में से प्रत्येक मण्डी क्षेत्र के लिए मण्डी समिति का गठन न हो जाय प्रयोग तथा पालन कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसके कि बारे में राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे, किया जायगा ;

(ग) मूल मण्डी समिति में निहित समस्त सम्पत्ति, राज्य सरकार के किन्हीं भी आदेशों के अध्यधीन रहते हुये, नवीनत: गठित मण्डी समिति के क्षेत्रों के

प्रयोजन के लिये, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा धारण की जायगी तथा व्यय की जायगी; और

(घ) जब तक कि मण्डी समितियों का गठन न हो जाय, कलेक्टर या ऐसे अन्य अधिकारी को मूल मण्डी समिति द्वारा वाद चलाये जाने या उसके विरूद्ध वाद चलाये जाने के प्रयोजनों के लिये या ऐसे लम्बित वादों या कार्यवाहियों को जोकि उक्त मूल मण्डी समिति द्वारा या उसके विरूद्ध चलाई गयी हो, चालू रखे जाने के लिये मूल मण्डी समिति का प्रतिनिधि समझा जायेगा।

(2) उस दिन, जिसको कि नवीन मण्डी क्षेत्रों में मण्डी समितियों का गठन हो जाये, कलेक्टर ऐसे प्रत्येक मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति को, उसकी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के संबंध में प्रशासन सौंप देगा।

धारा 76.

विपाटित मण्डी समिति की आस्तियॉ तथा दायित्वों का प्रभाजन–

(1) मूल मण्डी क्षेत्र की किसी मण्डी समिति की आस्तियॉ तथा दायित्व, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, नवीनत: गठित किये गये नवीन मण्डी क्षेत्रों की विभिन्न मण्डी समितियों में प्रभाजित कर दिये जायेंगे।

(2) डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न पद का ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा इस संबंध में नियुक्त करे, निम्नलिखित विषयों के संबंध में कलेक्टर को रिपोर्ट देगा, अर्थात् :–

(क) मूल मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति की आस्तियॉ तथा दायित्व ;

(ख) नवीन मण्डी क्षेत्रों की मण्डी समितियों के बीच आस्तियों तथा दायित्वों का प्रभाजन ;

(ग) वह रीति, जिसमें मूल मण्डी क्षेत्रों की मण्डी समिति के विद्यमान अधिकारी, सेवक तथा अन्य स्थायी कर्मचारी नवीन मण्डी क्षेत्रों की मण्डी समितियों द्वारा संविलीन किये जाने चाहिये ;

(घ) साधारणत: नवीन मण्डी क्षेत्रों की मण्डी समितियों के गठन से अनुषंगिक (incidental) अनुपूरक (Supplimental) तथा परिणामिक समस्त विषयों के संबंध में।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट की गयी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजी जावेगी जो कि उसे ऐसी रीति में प्रकाशित करेगी, जैसी कि विहित की जाये।

(4) हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, रिपोर्ट में किये गये प्रस्तावों के विरूद्ध उसके प्रकाशन की तारीख से एक मास के भीतर, राज्य सरकार को लिखित अभ्यावेदन कर सकेगा।

(5) उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट की गयी कालावधि का अवसान हो जाने पर, राज्य सरकार उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किये गये अधिकारी की रिपोर्ट पर तथा प्राप्त हुए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार कर सकेगी और उनके संबंध में ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसे कि वह उचित समझे।

(6) समस्त ऐसी बातों पर दिये गये राज्य सरकार के आदेश अंतिम होंगे और किसी भी विधि न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किये जायेंगे।

धारा 77.

नवीन मण्डी समिति द्वारा या उसके विरूद्ध वाद –

(1) ऐसे विषयों के संबंध में, जो कि धारा 76 के अधीन राज्य सरकार के विनिश्चय के अंतर्गत आते हों नवीन मण्डी क्षेत्र की मण्डी समितियॉ, पृथक-पृथक मूल मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति द्वारा वाद चलाये जाने तथा उसके विरूद्ध वाद चलाये जाने के प्रयोजनों के लिये या ऐसे लंबित वादों या कार्यवाहियों को, जो कि उक्त मण्डी समिति द्वारा या उसके विरूद्ध चलायी गयी हों, चालू रखा जाने के लिये मूल मण्डी समिति की प्रतिनिधि समझी जायेगी।

(2) ऐसे विषयों के संबंध में, जो कि धारा 76 के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार के विनिश्चय के अंतर्गत न आते हों, नवीन मण्डी क्षेत्रों की मण्डी समितियॉ, संयुक्त रूप से, मूल मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति द्वारा वाद चलाये जाने तथा उसके विरूद्ध वाद चलाये जाने के प्रयोजनों के लिये या ऐसे लंबित वादों या कार्यवाहियों को, जो कि उक्त मण्डी समिति द्वारा या उसके विरूद्ध चलायी गयी हों, चालू रखे जाने के लिये, मूल मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति की प्रतिनिधि समझी जायेंगी।

(3) यदि नवीन मण्डी क्षेत्रों की मण्डी समितियों के बीच, किसी डिक्री या आदेश के अधीन उनके अपने-अपने दायित्व या दावे के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो, तो मामला राज्य सरकार को निर्देशित किया जायगा, जिसका कि विनिश्चय अंतिम होगा।

धारा 78.

समामेलित या विपाटित मण्डी समिति या समितियों के विद्यमान कर्मचारियों के संबंध में व्यावृत्ति-

जब धारा 71 के अधीन दो या अधिक मण्डी समितियों के समामेलन द्वारा एक नवीन मण्डी समिति गठित की जाये या जहां किसी विद्यमान मण्डी समिति को विपाटित करके दो या अधिक नवीन मण्डी समितियॉ गठित की जायें, वहां समामेलित या विपाटित मण्डी समिति या समितियों के समस्त स्थायी अधिकारियों तथा सेवकों या अन्य कर्मचारियो

के वेतन तथा भत्ते, पेंशन तथा निवृत्त लाभ, यदि कोई हों, वे ही वेतन तथा भत्ते, पेंशन तथा निवृत्त लाभ होंगे जो कि यथास्थिति समामेलन या विपाटन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे।

अध्याय 13
नियम तथा उपविधियाँ
(RULES AND BYELAWS)

धारा 79.

नियम बनाने की शक्ति–

(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टितया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिये उपबन्ध हो सकेंगे :-

(एक) लोप किया ;

(एक-क) धारा 3(1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की अन्य रीतियॉ ;

(दो)- (क) अर्हताएं जो कृषकों के प्रतिनिधियों में धारा 11(1) [1]{(ख)} के अधीन होंगी;

(ख) अर्हताएॅ जो व्यापारियों के प्रतिनिधियों में धारा 11(1) [1]{(ग)} के अधीन होंगी;

(ग) धारा 11(3) के अधीन प्राधिकारी जो निर्वाचनों का संचालन करेगा, निर्वाचन क्षेत्रों का अवधारण, मतदाताओं की सूची तैयार करना तथा उसे बनाये रखना, सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने संबंधी निरर्हताएॅ, मत देने का अधिकार, निक्षेप का भुगतान तथा उसका समपहरण, निर्वाचन अपराध, निर्वाचन संबंधी विवादों का अवधारण तथा उससे आनुषंगिक समस्त विषय ;

(तीन) मण्डी समिति एवं उसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियॉ तथा पालन किये जाने वाले कर्तव्य ;

(चार) मण्डी समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन ;

(चार-क) धारा 15 के अधीन मण्डी समिति के सम्मिलन की प्रक्रिया तथा गणपूर्ति ;

[1]{ (चार-ख) {''लोप किया गया।''}

[1] संशो0 अधि0 क्र0 27/1997 राजपत्र असा0 दि0 30.05.97 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1] अधिसूचना क्र. डी-15-112-95-चौदह-3, दिनांक 12.2.2001 द्वारा लुप्त।

(पॉच) मण्डी का प्रबंध, मण्डी फीस की वसूली के लिये प्रक्रिया मण्डी फीस के अपवंचन के लिये जुर्माना तथा विवरणियां देने में व्यतिक्रम होने की दशा में मण्डी फीस के निर्धारण की रीति ;

(छः) अनुज्ञप्तियों की मन्जूरी के लिये मण्डी कृत्यकारियों का वर्गीकरण, इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियों का विनियमन, वे व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति लेने के लिये अपेक्षित हैं, वे प्ररूप जिनमें तथा वे निबन्धन तथा शर्ते जिनके अध्यधीन रहते हुये ऐसी अनुज्ञप्तियॉ जारी की जायेंगी या नवीकृत की जायेंगी ;

(सात) ऐसे व्यक्तियों के लिये उपबन्ध जिनके द्वारा तथा प्ररूप जिसमें दस्तावेजों की प्रतिलिपियॉ तथा मण्डी समिति की पुस्तकों में की प्रविष्टियॉ प्रमाणित की जा सकेंगी और ऐसी प्रतिलिपियों के प्रदाय के लिये उद्ग्रहीत किये जाने वाले प्रभार;

(आठ) उन बांटों तथा मापों एवं तौलने तथा मापने के उपकरणों का प्रकार तथा विवरण जो मण्डी प्रांगण में, अधिसूचित कृषि उपज के संव्यवहारों में उपयोग में लाये जायेंगे ;

(नौ) मण्डी प्रांगण में उपयोग में लाये जा रहे समस्त बॉटों तथा मापों का और तौलने तथा मापने के उपकरणों का नियतकालिक निरीक्षण ;

(दस) व्यापारिक छूट, जो मण्डी प्रांगण में, अधिसूचित कृषि उपज के किसी संव्यवहार में किसी व्यक्ति द्वारा दी जा सकेगी या प्राप्त की जा सकेगी ;

(ग्यारह)अधिसूचित कृषि उपज के किसी क्रेता तथा विक्रेता या उनके अभिकर्ताओं के बीच होने वाले किसी विवाद के,जिसके अंतर्गत वस्तुओं की क्वालिटी या तौल, बेचे गये माल की कीमत के बारे में कियेगये भुगतान तथा वेष्टकों, पात्रों, कचरे या अशुद्धताओं के लिये दी गई छूटों या किसी भी कारण से की गई कटौतियों से संबंधित विवाद आते हैं, मध्यस्थता द्वारा, माध्यस्थम् द्वारा या अन्यथा परिनिर्धारण के लिये सुविधाएँ;

(बारह) मण्डी में लाई गई किसी कृषि-उपज का संग्रह करने के लिये स्थान की व्यवस्था;

(तेरह) अंशतः या पूर्णतः मण्डी समिति के व्यय से निर्मित किये जाने के लिये प्रस्तावित निर्माण-कार्यो के रेखांकों तथा प्राक्कलनों का तैयार किया जाना और ऐसे रेखांकों तथा प्राक्कलनों के लिये मन्जूरी दी जाना ;

(चौदह) वह प्ररूप जिसमें मण्डी समिति के लेखे रखे जायेंगे, संपरीक्षा तथा ऐसे संपरीक्षा का प्रकाशन और लेखाओं के संपरीक्षा ज्ञापनों का निरीक्षण और ऐसे ज्ञापनों का प्रदाय ;

(पन्द्रह) वार्षिक बजट का तैयार किया जाना और उसे मन्जूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना तथा मण्डी समिति द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट तथा विवरणियॉ ;

(सोलह) समय, जिसके दौरान तथा वह रीति जिसमें कोई व्यापारी या दलाल या आढ़तिया मण्डी समिति को ऐसी विवरणियॉ, जैसी कि उसके द्वारा अपेक्षित की जायें, देगा ;

(सत्रह) दलालों या आढ़तियों या व्यापारियों द्वारा कृषकों को दिये गये अग्रिमों का, यदि कोई हो, विनियमन ;

(अठारह) कृषि-उपज का श्रेणीकरण तथा मानकीकरण ;

(उन्नीस) कृषि-उपज की आमद तथा उसके औसत मूल्यों का अभिलेख रखना;

(बीस) रीति, जिसमें कृषि उपज का मण्डी में नीलाम संचालित किया जायगा और बोली लगायी जायगी तथा प्रतिग्रहीत की जायगी ;

(इक्कीस) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उद्ग्रहणीय फीस की वसूली तथा उसका व्ययन ;

(बाईस) इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के अधीन अपराधों का शमन किया जाना तथा उसके लिए प्रतिकर का नियत किया जाना ;

[1]{ (तेईस) लुप्त।

(चौबीस) लुप्त। }

(पच्चीस) उस व्यय की, जो कि विशिष्ट अतिथियों के स्वागत में उपगत किया जा सकेगा, सीमा ;

(छब्बीस) अध्यक्ष के मानदेय, सदस्यों के यात्रा-भत्तों तथा सम्मिलनों में हाजिर होने के लिये सदस्यों को देय बैठक फीस की सीमाएं ;

(सत्ताईस) [2]{मण्डी समिति-निधि तथा मध्यप्रदेश राज्य विपणन विकास निधि} में के अधिशेष के विनिधान की रीति ;

(अट्ठाईस) उपविधियॉ विरचित करने, उनमें संशोधन करने या उन्हें रद्द करने के लिये और उनके पूर्व एवं अन्तिम प्रकाशनके लिये प्रक्रिया ;

(उन्तीस) इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन के लिये मण्डी समितियों का वार्षिक आय के आधार पर वर्गीकरण ;

(तीस) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि ;

(इकत्तीस) बोर्ड के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियॉ ;

[1] म0प्र0 संशो0 अधि0 क्र0 28/2001, राजपत्र असाधारण दिनांक 27.10.2001 द्वारा प्रतिस्थापित। राजपत्र असाधारण दिनांक 27.10.2001 में प्रकाशित।

[2] म0प्र0 अधिनियम क्र0 27/1997, दिनांक 30 मई, 1997 द्वारा प्रतिस्थापित।

(बत्तीस) वे समस्त बातें जिनका कि इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित हो ;

(बत्तीस-क) इस अधिनियम के अधीन सूचना की तामील की रीति ;

(तैंतीस) साधारणत: मण्डी समिति के मार्गदर्शन के लिये।

[1]{''(तैंतीस-क) वह रीति जिसमें मण्डी समिति या बोर्ड की स्थावर संपत्ति अन्तरित की जाएगी.''.}

(3) किसी नियम को बनाने में राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि उसका भंग जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम विधान सभा के पटल पर रखा जायगा।

धारा 80.

उपविधियॉ बनाने की शक्ति-

(1) इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये मण्डी समिति अपने प्रबन्धाधीन मण्डी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित के लिये उपविधियॉ बना सकेगी :-

(एक) उसके कारबार का विनियमन ;

(दो) मण्डी में व्यापार की शर्ते ;

(तीन) अधिकारियों तथा सेवकों को शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन, उनकी नियुक्ति, वेतन, दण्ड, पेंशन, उपदान, छुट्टी, छुट्टी भत्ते, उनके द्वारा किसी भविष्य निधि के प्रति, जो ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों के फायदे के लिये स्थापित की जाये, अभिदाय तथा सेवा की अन्य शर्ते;

(चार) किसी उप-समिति को, यदि कोई हो, शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन ;

(पॉच) ऐसे मण्डी कृत्यकारी जो अनुज्ञप्ति लेने के लिये अपेक्षित किये जायेंगे;

(छ:) कोई अन्य विषय जिसके के लिये इस अधिनियम के अधीन उपविधियॉ बनायी जानी हों या जिनके कि संबंध में यह आवश्यक हो कि मण्डी-क्षेत्र में इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये उपविधियॉ विरचित की जाये।

[1] म0प्र0 संशो0 अधि0 क्र0 15/2003, राजपत्र असाधारण पृ0 474(4) दिनांक 28.4.2003 द्वारा स्थापित द्वारा संशोधित।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनायी गयी कोई भी उपविधि तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसकी पुष्टि प्रबंध संचालक द्वारा न कर दी गयी हो।

(3) किसी उपविधि को बनाने में मण्डी समिति यह निर्देश दे सकेगी कि उसका (उपविधि का) भंग जुर्माने से, जो एक सौ रूपसे तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा तथा जहॉ भंग चालू रहने वाला भंग हो, वहॉ ऐसे और जुर्माने से दण्डनीय होगा जो प्रथम भंग के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसके कि दौरान भंग चालू रहना साबित हो जाय, पॉच सौ रूपये तक हो सकेगा।

धारा 81.

उपविधियॉ बनाने या उनमें संशोधन करने के लिए निदेश देने की प्रबंध संचालक की शक्ति –

(1) यदि प्रबंध संचालक को यह प्रतीत हो कि किसी मण्डी या मण्डी समिति के हित में कोई उपविधि बनाना या किसी उपविधि को संशोधित करना आवश्यक या वांछनीय है तो वह आदेश द्वारा संबंधित मण्डी समिति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह (मण्डी समिति) ऐसे समय के भीतर, जैसा कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उपविधि बनाये या उपविधि को संशोधित करे।

(2) यदि मण्डी समिति विनिर्दिष्ट किये गये समय के भीतर ऐसी उपविधि बनाने में या उपविधि को इस प्रकार संशोधित करने में असफल रहे, तो प्रबंध संचालक मण्डी समिति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा ऐसी उपविधि बना सकेगा या उपविधि को इस प्रकार संशोधित कर सकेगा और तदुपरि उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी उपविधि, या उपविधि का ऐसा संशोधन, इस अधनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा बनायी गयी या संशोधित की गयी समझी जायगी और तदुपरि ऐसी उपविधि या संशोधन मण्डी समिति पर आबद्धकर होगा/होगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रबंध संचालक के किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य सरकार को होगी और ऐसी अपील पर राज्य सरकार का आदेश अंतिम होगा।

धारा 81–क

विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति–

इस अधिनियम के तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड –

(एक) अपने कारबार को करने के लिए ;

(दो) अधिकारियों तथा सेवकों को शक्तियों, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रत्यायोजन करने के लिये और उनकी सेवा से संबंधित विषयों के लिये ;

(तीन) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अपने कर्तव्यों, उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने हेतु किसी अन्य विषय के लिये; विनियम बना सकेगा।

अध्याय 14
निरसन तथा व्यावृत्तियॉ
(Repeal and Saving)

धारा 82.

निरसन तथा व्यावृत्तियॉ –

(1) मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स ऐक्ट,1960 (क्रमांक 19 सन् 1960), मध्यप्रदेश एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस माक्रेट्स (वैलीडेशन) ऐक्ट, 1962 (क्रमांक 12 सन् 1962); मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी समिति (निर्वाचन स्थगन) निरसन अधिनियम, 1967 (क्रमांक 24 सन् 1967), मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 1968 (क्रमांक 17 सन् 1968), मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) अधिनियम,1970 (क्र0 2 सन् 1970), मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) अधिनियम, 1970 (क्रमांक 23 सन् 1970), मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (क्रमांक 22 सन् 1971) तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (संशोधन तथा विधिमान्यताकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 30 सन् 1972) एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी-

(एक) उक्त अधिनियमों या उनके द्वारा निरस्त हुई किसी अधिनियमिति के अधीन गठित या नियुक्त की गयी समस्त मण्डी समितियॉ, नियुक्त किया गया भारसाधक पदाधिकारी या नियुक्त की गई भारसाधक समिति, स्थापित की गई मंडियों, घोषित किये गये मण्डी-क्षेत्र, अधिसूचित की गई कृषि-उपज, बनाये गये नियम या बनाई गई उपविधियॉ, जारी की गई अधिसूचना, उद्ग्रहीत की गई फीस, की गई संविदाऍं, मंजूर की गई अनुज्ञप्तियॉ, संस्थित किये गये वाद तथा की गई कार्यवाहियॉ या की गई कोई अन्य बातें या किये गये कार्य, जहॉ तक कि वे इस अधनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन क्रमशः गठित की गई, नियुक्त की गई, नियुक्त किया गया/नियुक्त की गई, जारी की गई, उद्ग्रहीत की गई, मंजूर की गई संस्थित किये गये, की गई या किये गये समझे जायेंगे/जायेंगी जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या किये गये किसी कार्य द्वारा अतिष्ठित न कर दिये जायें या अतिष्ठित न कर दी जायें।

(दो) जब तक कि राज्य सरकार अन्यथा निदेशित न करें, खंड (1) में निर्दिष्ट की गई मण्डी समितियॉ तथा उनके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य निरसित अधिनियम के अधीन अपनी अवधि/पदावधि का अवसान होने तक या इस अधनियम के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समिति के गठित होने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अपने पद पर बने रहेंगे/बनी रहेंगी।

(3) उपधारा (2) के खंड (दो) के अधीन निदेश जारी किये जाने पर धारा 57 के उपबन्ध ऐसी तारीख से, जो कि निदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, इस प्रकार लागू होंगे मानों कि मण्डी समिति उस तारीख को विघटित थी।

,,,,,

अनुसूची (SCHEDULE)

{ धारा - 2(1) (क) देखिए) }

एक-तन्तु

1. कपास [1](बिना ओटी हुई)
2. सन
3. (अम्बाड़ी/मेस्टा)[2]

दो-धान्य

1. धान [2](.....)
2. गेहूं
3. जौ
4. ज्वार
5. मक्का/भुट्टा
6. बाजरा
7. कोदों
8. सावां/समॉं
9. कुटकी
10. राला
11. रागी
12. राजगिरा
13. [2](विलुप्त)

[3]{तीन-दलहन

1. तुअर/अरहर
2. चना

[1] (1 लगायत 3)- संशोधन अधिनियम क्र. 5/1990 (म.प्र.राजपत्र-असाधारण, दिनांक 6.2.1990 पृ. 232-233 पर प्रकाशित।

[2] संशोधन अधिनियम क्र0 5/1990, म.प्र.राजपत्र असाधारण, दिनांक 6.2.0, पृ. 232-233 पर प्रकाशित।

3. मटर
4. मसूर या मसूरी
5. लाख
6. मूँग
7. उड़द/उरदा
8. कुलथी
9. लोबिया या मोठ
10. चौली या बरबटी
11. सेम या सेमी}

[1]{ **चार-तिलहन**

1. तिल्ली या तिल
2. अलसी
3. {मूँगफली या (छिलका रहित या छिलका सहित) }
4. राई
5. सोयाबीन
6. सरसों
7. अरण्डी
8. कुसुम
9. रमतिल्ली
10. [1]{ बिनौला (विलुप्त किया गया)}
11. महुआ
12. सोंहा
13. लाहा
14. (विलुप्त)
15. सूरजमुखी

पांच-स्वापक

1. तम्बाकू
2. पान
3. [2]{अफीम के डोंडे (पॉपी केप्सूल)}

छः-गन्ना

1. गन्ना
2. गुड़

सात-फल

1. संतरा
2. नींबू

[1] संशोधन सूचना क्र. डी-5-78-97-चौदह-3, कृषि विभाग, दिनांक 20 अप्रेल, 2001 द्वारा विलुप्त।

[2] संशोधन अधिनियम क्र0 18/1979 द्वारा प्रतिस्थापित।

3 संशोधन अधिसूचना दिनांक 03 फरवरी 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. मीठा नीबू
4. चकोतरा
5. आम
6. केला
7. अमरुद
8. अंगूर
9. सीताफल
10. रामफल
11. पपीता
12. सेब
13. जामुन
14. बेर
15. चीकू
16. खिरनी
17. अनार
18. तरबूज
19. खरबूज
20. नासपाती
21. मोसम्बी
22. ककड़ी

आठ–सब्जियाँ

1. सेम या सेमी
2. लोबिया
3. भारतीय सेम
4. सेम बरबटी
5. गंवार फली
6. बैंगन
7. पत्ता गोभी
8. फूल गोभी
9. चौलाई साग
10. चवली लाल
11. खट्टा पालक
12. तुरई
13. करेला
14. लौकी
15. कुम्हड़ा
16. कुन्दरु
17. परवल

18. बन्द गोभी/गांठ गोभी
19. मैथी
20. पालक भाजी
21. चोलाई भाजी
22. भिण्डी
23. टमाटर
24. मटर
25. कटहल
26. अरबी
27. चुकन्दर
28. गाजर
29. प्याज
30. आलू
31. शकरकन्द
32. मूली
33. सलगम
34. टिण्डा
35. सुरन
36. अन्य हरी एवं ताजी सब्जियाँ

नौ–[1]{विलुप्त}

दस–चटनी मसाले तथा अन्य वस्तुएं

1. मिर्ची {गीली तथा सूखी}
2. धनिया
3. हल्दी
4. लहसून {गीला तथा सूखा}
5. अदरक {गीला तथा सूखा}
6. मेंथीदाना
7. अजवाइन
8. इमली
9. सौफ
10. जीरा
11. राई
12. असगन्ध
13. पोस्त तथा खसखस

ग्यारह–[1]{विलुप्त}

बारह–वन उपज

1. लाख

[1] संशोधन अधिनियम क्र0 18/1979 द्वारा विलुप्त।

2. हर्रा
3. आंवला
4. बहेड़ा
5. चिरौंजी
6. गोंद {सब प्रकार का}
7. शहद
8. मोम
9. करेली
10. महूए के फूल
11. बांस

तेरह-अन्य वस्तुएं

1. सन बीज
2. गुवार
3. सिंघाड़ा

चौदह-फूल

1. ग्लार्डिया
2. एनुअल/क्राइसेन्थियम
3. एस्टर
4. गेंदा (अफ्रीकन/फ्रेन्च मेरीगोल्ड)
5. गुलाब
6. ग्लेडियोलाई
7. जबरबेरा
8. रजनीगंधा
9. कारनेशन
10. बेला (मोगरा)
11. जूही
12. एन्थूरियम
13. लिलियम
14. टयूलिप
15. सेवंती
16. आयरिश
17. स्वीट सुल्तान
18. सिनरेरिया
19. साल्विया
20. एन्टीराइनम
21. जिप्सोफिला
22. लिमोनिया (स्टेटस)
23. गमफ्रेना
24. क्रोसेन्ड्रा

25. हाईड्रेन्जिया
26. हेलीकोनिया प्रजाति
27. गोल्डन रॉड
28. डायेन्थस
29. स्वीट विलियम
30. क्लॉर्किया
31. ल्यूपिन
32. कमल (लोटस)
33. केलेन्डुला
34. केवड़ा
35. बॉलसम
36. चांदनी
37. ऑर्किड्स

नोट :- उपरोक्त ''फूलों'' की समस्त किस्में एवं प्रजातियाँ (स्पीसीस) अनुसूची में शामिल होंगी.

पन्द्रह-कृषि औषधीय उपज

1. अशोक
2. अतीस
3. बेल
4. भुई आंवला
5. ब्राह्मी
6. चंदन
7. चिरायता
8. गिलोय
9. गुड़मार
10. गुग्गल
11. इसबगोल
12. जटामांसी
13. कलिहारी
14. कालमेघ
15. कोकुम
16. कूठ
17. कुटकी
18. मकोय
19. मुलेठी
20. सफेद मूसली
21. पत्थर चूर
22. पिप्पली
23. दारू हल्दी

24. केसर
25. सर्पगंधा
26. सनाय
27. शतावरी
28. तुलसी
29. वाय विडंग
30. वत्सनाभ
31. चन्द्रशूर
32. रतनजोत बीज
33. नीम बीज
34. करंज बीज
35. स्टीविया
36. पलाश के फूल
37. धवई के फूल
38. अश्वगंधा

नोट :- उपरोक्त ''कृषि औषधीय उपज'' की समस्त किस्में एवं प्रजातियाँ (स्पीसीस) अनुसूची में शामिल होंगी.

[1] संशोधन सूचना क्र. डी-15-4-2004-चौदह-3, कृषि विभाग, दिनांक 31 जनवरी, 2005.